



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270214
CG-DL-E-17022026-270214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 3-सीएसीएफ/जीएन-एफ/2026.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है: -

आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति के लिए वृत्तिक नेटवर्क को विकसित करने के लिए भारत में एक समर्थकारी ढांचा तैयार करना समीचीन है;

और उभरती व्यापार एरेंजमेंट में वृत्तिक अवसरों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए; आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटी के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर; नवाचार और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समान अवसर को समर्थ बनाने;

और आईसीएआई की घरेलू एंटीटी के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल नेटवर्क के साथ सहयोग करने का उपबंध करने;

और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्लोबल नेटवर्क (या संबंधित क्षेत्राधिकार में समकक्ष) के कार्यकरण को आईसीएआई के विनियामक क्षेत्राधिकार के अधीन लाने, जहां तक उनके भारतीय प्रचालनों का संबंध है;

और सर्वोत्तम ग्लोबल प्रथाओं के अनुसार वृत्तिक सेवाओं की गुणवत्ता को और मजबूत करने;

और आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों की क्षमता को और बढ़ाने तथा तालमेल बिठाना, उपकरणों और प्रक्रियाओं सहित अव्यक्त और उभरते ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझाकरण के उपबंध के माध्यम से सर्वोत्तम ग्लोबल प्रथाओं से उद्भासन को समर्थ बनाने;

और वृत्ति के सक्षमताओं और सामर्थ्य में और अभिवृद्धि करने के लिए ;

अध्याय ।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (i) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम "आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025" है ।
- (ii) इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत एक या एक से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म (फर्मों), नेटवर्कों और अन्य एंटिटीओं या भारत के बाहर अपनी संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थापित और रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क या एंटिटीओं के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है और ये आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत नेटवर्कों पर भी लागू होगा जो विदेशी एंटिटी (एंटिटीओं) को एफिलिएशन प्रदान करते हैं ।
- (iii) ये दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ और निर्वचन

I. इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- क) "अधिनियम" से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) अभिप्रेत है जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ।
- ख) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आईसीएआई का सदस्य है ।
- ग) "आचार संहिता" से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद द्वारा जारी आचार संहिता अभिप्रेत है।
- घ) अभिव्यक्ति "कांस्टिट्यूटेंट", कांस्टिट्यूटेंट फर्म (फर्मों) , सदस्य फर्म (फर्मों) से नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट (कांस्टिट्यूटेंट्स), सदस्य, कांस्टिट्यूटेंट्स फर्म (फर्मों), सदस्य फर्म (फर्मों) अभिप्रेत होंगी और उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित कोई घरेलू या विदेशी एंटिटी इसमें सम्मिलित होगी ।
- ङ) "परिषद" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित आईसीएआई की परिषद अभिप्रेत है ।
- च) "घरेलू एंटिटी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -
 - (i) अधिनियम की धारा 2(1) (गक) में परिभाषित कोई 'फर्म', या
 - (ii) आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत 'वृत्ति के कारपोरेट रूप में प्रैक्टिस के लिए दिशानिर्देश' के अधीन सृजित 'प्रबंधन परामर्श सेवाएं' के लिए कोई एंटिटी, जो आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत है; या
 - (iii) 'भारतीय सीए फर्मों के नेटवर्किंग के लिए दिशानिर्देश, 2021' के अधीन स्थापित कोई नेटवर्क;
 जो आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत है, जिसमें नेटवर्किंग या कोलाबोरेशन के लिए कोई लिखित करार हैं या ऐसी अन्य एंटिटी है जिन्हें उक्त दिशानिर्देशों के अधीन परिषद द्वारा अनुमति दी जाए।
- छ) किसी सदस्य के संबंध में "गुड स्टैंडिंग" से यह तात्पर्यित है कि उसका कोई सदस्यता शुल्क/सीओपी शुल्क आईसीएआई को बकाया नहीं है और ऐसा सदस्य सीपीई घंटों का अनुपालन करता है और उक्त सदस्य के खिलाफ अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड (बीओडी) या अधिनियम के अधीन गठित किसी अपीली प्राधिकरण के समक्ष कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होती है ।

ज) "आईसीएआई" से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान अभिप्रेत है।

झ) "नोडल अधिकारी सह संपर्क व्यक्ति" आईसीएआई के फुलटाइम प्रैक्टिस सर्टिफिकेट को धारण करने वाला और भारत में अधिवासित घरेलू एंटीटी का भाग बनने वाला सदस्य अभिप्रेत है, जो इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ञ) इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए "विदेशी एंटीटी" से एक ऐसी एंटीटी अभिप्रेत होगी, जो उपबंध, अक्रेडिटेशन, अफिलिएशन, एसोसिएशन, एरेंजमेंट, एलायंस, नेटवर्किंग कोलाबोरेशन, कारपोरेशन या वृत्तिक सेवाओं का प्रतिपादन या सुविधा प्रदान करने के लिए जैसे अकाउंटिंग, ऐशोरेंस या भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाओं (अधिनियम की धारा 2(2)(iv) और विनियमों के अधीन अनुज्ञात सेवाओं सहित) हेतु भारत से बाहर निगमित रजिस्ट्रीकृत है और प्रचालन कर रही है।

स्पष्टीकरण: इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, किसी विदेशी एंटीटी से पार्टनर फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), फेडरेशन, एसोसिएशन, नान-प्रोफिट आर्गनाइजेशन (एनपीओ), नान-गर्वमेंट आर्गनाइजेशन (एनजीओ) सहित कानून द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी एंटीटी अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर संबंधित अधिकारिता में लागू कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, जो यहां उल्लिखित किसी भी सेवा को प्रदान या सुविधाजनक बनाती है।

ट) "ग्लोबल नेटवर्क" से एक नेटवर्क या एरेंजमेंट अभिप्रेत है, जो घरेलू एंटीटी और किसी विदेशी एंटीटी के बीच विद्यमान है, जिसे इन दिशानिर्देशों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, "नेटवर्क" से "ग्लोबल नेटवर्क" अभिप्रेत है, जैसा कि यहां बताया गया है।

स्पष्टीकरण: इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, नेटवर्क एक अरेंजमेंट, एलायंस या एसोसिएशन है, जिसे लिखित रूप में तैयार किया गया है, (इसके नामकरण पर ध्यान न देते हुए) जिसका उद्देश्य ऊपर 2(1)(ज) में उल्लिखित है, जहां –

- (क) इसका उद्देश्य संरचना के भीतर कांस्टिट्यूटेंट्स के बीच लागत साझा करना है; या
- (ख) संरचना के भीतर कांस्टिट्यूटेंट्स सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं को साझा करते हैं, जिन्हें पूरे नेटवर्क में डिजाइन, कार्यान्वित और उनकी निगरानी की जाती है; या
- (ग) नेटवर्क के भीतर कांस्टिट्यूटेंट्स एक सामान्य प्रचालन रणनीति साझा करते हैं; या
- (घ) नेटवर्क के भीतर कांस्टिट्यूटेंट्स एक सामान्य ब्रांड नाम, सामान्य आद्याक्षर या एक सामान्य नाम, लोगो या प्रतीक चिन्ह को साझा करते हैं; या
- (ङ) नेटवर्क के भीतर कांस्टिट्यूटेंट्स सामान्य वेबसाइट या सामान्य डोमेन नाम, सामान्य ईमेल या सामान्य संचार के किसी भी रूप का उपयोग साझा करते हैं (बड़े पैमाने पर जनता के लिए मुफ्त या सदस्यता के आधार पर उपलब्ध नाम के अलावा); या
- (च) नेटवर्क के भीतर कांस्टिट्यूटेंट्स सामान्य प्रणालियों, पार्टनरों और कर्मचारिवृंद, सामान्य तकनीकी संसाधनों, संपरीक्षा पद्धति या संपरीक्षा मैनुअल, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसुविधाओं या किसी भी संसाधन सहित वृत्तिक संसाधनों के किसी भाग को साझा करते हैं किंतु यह उन तक ही सीमित नहीं है; या

(छ) कोई भी अन्य परिस्थितियां जिसमें कांस्टिट्यूटेंटों का आचरण या कार्य यह बताना है कि वे इस तरह से सहबद्ध हैं जो एक नेटवर्क का गठन करता है, जैसा कि आईसीएआई द्वारा अवधारित किया जाए।

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, बड़े पैमाने पर जनता के लिए शुल्क और साझाकरण के आधार पर उपलब्ध सह-कार्यस्थल को साझा करने या उपयोग करने के लिए उपरोक्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

ठ) "पार्टनर" का वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम की धारा 4 में¹ या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (च) में उनका है²।

ड) "पार्टनरशिप" से भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम, 1932 की धारा 4 में यथापरिभाषित 'पार्टनरशिप' या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अभिप्रेत है, किंतु इसमें ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सम्मिलित नहीं है, जिसमें धारा 25 के अधीन यथा उपबंधित कोई कंपनी एक पार्टनर है।

ढ) "एरेंजमेंटों की अनुमत रूपरेखा" से इन दिशानिर्देशों के अधीन अनुज्ञात एरेंजमेंट या रूपरेखा अभिप्रेत है।

ण) "विनियम" से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 अभिप्रेत है जो समय-समय पर संशोधित किया गया है।

II. इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इनमें परिभाषित या विनिर्दिष्ट/स्पष्ट नहीं किए गए हैं और अधिनियम या विनियमों में परिभाषित किए गए हैं, के अर्थ वहीं होंगे, जो क्रमशः अधिनियम और विनियमों में उनके हैं या वे अर्थ होंगे, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों या उनके अधीन बनाए गए विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं में उनके हैं।

¹ 1932 का 9

² 2009 का 6

अध्याय II

ग्लोबल नेटवर्क का रजिस्ट्रीकरण

3. वृत्तिक सेवाएँ प्रदान करना

ग्लोबल नेटवर्क के कांस्ट्रिक्ट्स के रूप में सम्मिलित घरेलू एंटीटीओं तथा घरेलू नेटवर्कों, जो विदेशी एंटीटीओं को अफिलिएशन प्रदान करती हैं, इन दिशानिर्देशों के अनुसार तथा “अधिनियम” के अंतर्गत अनुमत सीमा में, भारत में और/या भारत के बाहर सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

4. ग्लोबल नेटवर्क के नाम हेतु आवेदन और अनुमोदन

- (i) प्ररूप 'एजीएन' में एक आवेदन, प्ररूप 'एजीएन' में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे 10,000/- रुपये के शुल्क के साथ धन लागू करें ग्लोबल नेटवर्क के नाम के अनुमोदन के लिए घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) द्वारा प्ररूप 'एजीएन' में ग्लोबल नेटवर्क के नोडल अधिकारी के माध्यम से फाइल किया जाएगा।
- (ii) ग्लोबल नेटवर्क का एक पृथक नाम होगा जिसे आईसीएआई द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नेटवर्क के नाम के लिए परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (iii) आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988, प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950, कंपनी अधिनियम, 2013, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए नाम को अस्वीकार कर सकता है, जिसे वह अवांछनीय समझता है। इसके अलावा, यदि उपरोक्त प्रावधानों के किसी उल्लंघन, विरोध या अतिलंघन की आईसीएआई द्वारा पहचान की जाती है या उसके ध्यान में लाया जाता है तो शिकायत के माध्यम से प्रस्तावित नाम को ऐसे आधार पर खारिज किया जा सकता है। हालांकि, नाम को अवांछनीय मानकर खारिज करने से पहले आईसीएआई द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- (iv) आईसीएआई यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू एंटीटी या घरेलू नेटवर्क से अफिलिएशन चाहने वाली किसी भी विदेशी एंटीटी या नेटवर्क का नाम किसी मौजूदा घरेलू एंटीटी या आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू नेटवर्क के नाम से मिलता-जुलता नहीं है। ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित नाम मौजूदा रजिस्ट्रीकृत नाम से मिलता-जुलता पाया जाता है, आईसीएआई आवेदक को वैकल्पिक नाम का विकल्प प्रस्तुत करने की सलाह देगा। आवेदक वैकल्पिक विकल्पों के साथ 30 दिनों के भीतर फिर से आवेदन कर सकता है, जिस पर आईसीएआई द्वारा विचार किया जाएगा। आईसीएआई ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् 60 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा। पुनः आवेदन पर आईसीएआई का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) ग्लोबल नेटवर्क अपने नाम के पश्चात् "ग्लोबल नेटवर्क" प्रत्यय का उपयोग करेगा (जो आईसीएआई द्वारा अनुमोदित किया जाए)।
- (vi) ग्लोबल नेटवर्क के नाम के अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना आईसीएआई द्वारा नोडल अधिकारी को प्ररूप 'एजीएन' में उल्लिखित उसके पते पर उस अवधि के भीतर दी जाएगी, जो आमतौर पर उक्त प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं होगी।
- (vii) नेटवर्क के नाम के अनुमोदन पर, आईसीएआई अनुमोदन की तारीख से 180 दिनों की अवधि तक ऐसे नाम को आरक्षित करेगा।
- (viii) आईसीएआई द्वारा ग्लोबल नेटवर्क के नाम का अनुमोदन आईसीएआई के साथ इसके रजिस्ट्रीकरण के समतुल्य नहीं होगा। नेटवर्क अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और इन दिशानिर्देशों के अधीन प्रक्रिया का पालन करते हुए आईसीएआई को आवेदन करेगा, जिसमें विफल रहने पर निर्दिष्ट नाम उक्त अवधि की समाप्ति पर स्वतः रद्द हो जाएगा।

- (ix) मौजूदा फर्मों जो किसी ग्लोबल नेटवर्क की कांस्टिट्यूटेंट्स या सदस्य हैं (चाहे उन्होंने 2011 के दिशानिर्देशों के अधीन प्ररूप डी के अनुसार अपने ग्लोबल नेटवर्क/ एफिलिएशन की घोषणा कर दी हो या नहीं) को भी इन दिशानिर्देशों के लागू होने से 180 दिनों के भीतर प्ररूप एजीएन में आवेदन करना होगा।

बशर्ते कि, अनुबंधित अवधि से अधिक विलंब की दशा में, आईसीएआई, अपने विवेक से, अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर इस तरह के विलंब की माफी की अनुमति दे सकता है, जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए या आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद माफी को अस्वीकार कर सकेगा।

- (x) आईसीएआई, यदि जनसाधारण या वृत्ति के हित में आवश्यक समझा जाता है, तो किसी भी समय नाम का अनुमोदन वापस ले सकेगा। ऐसे मामले में, आईसीएआई इस तरह की वापसी के कारणों को दर्ज करेगा, निर्दिष्ट करेगा और प्रस्तुत करेगा और नोडल अधिकारी को इसकी संसूचना जारी करेगा। हालांकि, इस तरह की वापसी से पहले आवेदक को आईसीएआई द्वारा सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (xi) आवेदक, किसी भी समय, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 'बीजीएन' फाइल करने से पहले, प्ररूप 'एफजीएन' में इस तरह की वापसी के कारणों को निर्दिष्ट करने के साथ-साथ प्ररूप 'एजीएन' में फाइल आवेदन को स्वेच्छा से वापस ले सकता है। ऐसी स्वीकृति की सूचना आईसीएआई द्वारा नोडल अधिकारी को उसके पते पर दी जाएगी जिसका उल्लेख किया गया है प्ररूप 'एजीएन' एक अवधि के भीतर जो आमतौर पर उक्त प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के बाद की नहीं होगी।

5. ग्लोबल नेटवर्क का रजिस्ट्रीकरण

- (i) इन दिशानिर्देशों के अधीन घरेलू एंटीटी और ग्लोबल नेटवर्क/विदेशी एंटीटी (एंटीटीओं) के बीच सभी नेटवर्क एंजमेंटों को आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।
- (ii) घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) और एक या अधिक विदेशी एंटीटीओं/ग्लोबल नेटवर्क के बीच दर्ज की गई सभी एंजमेंटों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा।
- (iii) नोडल अधिकारी, आईसीएआई के साथ ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें प्ररूप 'बीजीएन' में 30,000 रुपये धन लागू करों के शुल्क के साथ या जैसा कि समय-समय पर परिषद द्वारा विनिश्चय किया जाए, आवेदन करना है, जो आमतौर पर आईसीएआई द्वारा ग्लोबल नेटवर्क के नाम के अनुमोदन की तारीख से 90 दिनों के बाद नहीं होगा।
- (iv) आईसीएआई घरेलू एंटीटी से ऐसे अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों की अपेक्षा कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे, और नोडल अधिकारी के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क की ओर से ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी यदि आईसीएआई की ओर से मांग की जाती है।
- (v) यदि आवेदन इन दिशानिर्देशों के खंड 1 (ii), 2 (I) (ज) और 4 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो आईसीएआई ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी दे सकता है जो आमतौर पर उक्त प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के बाद नहीं होगा और ग्लोबल नेटवर्क को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित करेगा और नोडल अधिकारी को इस संबंध में संसूचित करेगा।
- (vi) यदि आवेदन इन दिशानिर्देशों के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आईसीएआई इसके लिए कारण दर्ज करने के बाद आवेदन को अस्वीकार कर देगा और नोडल अधिकारी को सूचित करेगा जो आमतौर पर ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के बाद नहीं होगा। आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को आईसीएआई द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तथापि, वह प्ररूप 'बीजीएन' की अस्वीकृति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए

फिर से आवेदन कर सकेगा। आईसीएआई उक्त आवेदन पर फिर से विचार कर सकेगा और आमतौर पर 60 दिनों के भीतर इसके कारणों को दर्ज करने के बाद ऐसे आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकार करेगा। पुनः आवेदन पर आईसीएआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- (vii) आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) को एक से अधिक ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने की अनुमति है तथा तद्विपरीत भी।
- (viii) उक्त नेटवर्क के गठन के लिए, नाम के अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण और ग्लोबल नेटवर्क के गठन में परिवर्तन/नोडल अधिकारी के परिवर्तन के लिए शुल्क दिशानिर्देशों में दिए गए या समय-समय पर परिषद द्वारा विहित किए गए अनुसार भारतीय रुपये में देय होगा।
- (ix) इस तरह के नेटवर्क के अनुमोदन पर, अधिनियम, विनियमों और इन दिशानिर्देशों के उपबंध नेटवर्क की सभी घरेलू एंटीटी और भारत में उनके प्रचालन पर लागू हो जाएंगे।

6. नोडल अधिकारी सह संपर्क व्यक्ति

- (i) प्ररूप 'एजीएन' में नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन के समय, ग्लोबल नेटवर्क का भाग बनने वाली घरेलू एंटीटी/(एंटीटीओं) भारत में अधिवासित संस्थान के एक सदस्य को नोडल अधिकारी सह संपर्क व्यक्ति के रूप में पदाभिहित करेगी जो कांस्टिट्यूटों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ii) ग्लोबल नेटवर्क का नोडल अधिकारी सह संपर्क व्यक्ति -

क आईसीएआई का एक सदस्य होगा, जो इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित गुड स्टैंडिंग वाला है और जो ऐसी स्थिति में बना रहेगा; तथा

ख सीए फर्म या घरेलू नेटवर्क की किसी भी फर्म या तो प्रबंध पार्टनर या संयुक्त प्रबंध पार्टनर या "सीईओ" या "प्रबंध निदेशक" या "फुलटाइम मैनेजिंग निदेशक" या प्रबंधन परामर्शी कंपनी का "निदेशक" होगा और वह पार्टनर या "सीईओ" या "प्रबंध निदेशक" या "फुलटाइम मैनेजिंग निदेशक" या "निदेशक" होना चाहिए, जिसके पिछले वर्ष के दौरान लाभ साझा करने और/या पूंजी में उच्चतम की योगदान के मामले में साझेदारी में उच्चतम हिस्सेदारी होनी चाहिए।

- (iii) नोडल अधिकारी आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी भी घरेलू एंटीटीओं से हो सकता है।
- (iv) विदेशी एंटीटी से एफिलिएशन प्राप्त करने वाली वाली प्रत्येक घरेलू एंटीटी इन दिशानिर्देशों के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगी। जहां कई घरेलू एंटीटीओं, जो घरेलू नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं, एक ही आवेदन के माध्यम से एक ही ग्लोबल नेटवर्क के साथ अक्रेडिटेशन, एफिलिएशन या प्रतिपादन या सुविधा की मांग करती हैं, तो ऐसी प्रत्येक घरेलू एंटीटी इन दिशानिर्देशों के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए क्रमशः एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगी।
- (v) घरेलू नेटवर्क के मामले में, ग्लोबल नेटवर्क से एफिलिएशन लेने या किसी विदेशी एंटीटी को एफिलिएशन प्रदान करने के मामले में, इन दिशानिर्देशों के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली घरेलू नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली सभी घरेलू एंटीटीओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नोडल अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा।
- (vi) इन दिशानिर्देशों के अधीन नोडल अधिकारी के रूप में, रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकृत/अधिसूचित मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा, साथ ही रजिस्ट्रीकरण के बाद नेटवर्क के गठन में परिवर्तन करने के लिए भी ओटीपी भेजा जाएगा। जहां एक से अधिक नोडल अधिकारी पदाभिहित किए जाते हैं, ओटीपी सभी नोडल अधिकारियों को भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी (अधिकारियों) से प्राप्त ओटीपी पुष्टिकरण/अधिप्रमाणन को ग्लोबल नेटवर्क को रजिस्ट्रीकृत करने और ग्लोबल नेटवर्क की संरचना

में किए गए परिवर्तनों अर्थात् परिवर्धन और विलोपन को प्रभावित करने के लिए ठोस प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

(vii) नोडल अधिकारी सभी नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रखरखाव और इन दिशानिर्देशों और अन्य लागू विधियों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के लिए हर समय उत्तरदायी होगा।

(viii) यदि नेटवर्क की घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) का नोडल अधिकारी अपने किसी अन्य पार्टनर को कथित उल्लंघनों के लिए जवाबदेह सदस्य के रूप में घोषित करने में विफल रहता है, तो नोडल अधिकारी को ऐसे उल्लंघन के लिए 'उत्तरदायी सदस्य' के रूप में माना जाएगा और नोडल अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।

स्पष्टीकरण: इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए; "आईसीएआई" के सदस्य में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो इन दिशानिर्देशों और अधिनियम के उपबंधों के कथित उल्लंघन की तारीख को संस्थान का सदस्य था, यद्यपि वह जांच के समय संस्थान का सदस्य नहीं रह गया है।

(ix) ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, नोडल अधिकारी इन दिशानिर्देशों के अधीन अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा और रजिस्ट्रीकृत ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंटों को अधिनियम, विनियमों, आचार संहिता और विभिन्न दिशानिर्देशों की सुसंगत अपेक्षाओं के बारे में संसूचित करेगा।

7. रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ग्लोबल नेटवर्क की संरचना में परिवर्तन

(i) ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, नोडल अधिकारी आईसीएआई को विदेशी एंटिटी के कारोबार के प्रमुख स्थान के पते में परिवर्तन, घरेलू एंटिटी/(एंटिटीओं) के कारोबार के प्रमुख स्थान के पते में परिवर्तन, भारत में घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) के नाम और पते में परिवर्तन से संबंधित किसी भी संशोधन के बारे में सूचित करेगा जो ग्लोबल नेटवर्क में प्रवेश कर रही है या बाहर जा रही है। भारत में घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) के की मैनेजिरियल पर्सनल (केएमपी) के विवरण में परिवर्तन, ग्लोबल नेटवर्क के पदाभिहित नोडल अधिकारी के नाम और पते में परिवर्तन और ग्लोबल नेटवर्क के लिए और उसकी ओर से घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) और विदेशी एंटिटी (एंटिटीओं) के बीच किए गए नेटवर्क समझौते/पूरक समझौते में संशोधन, 10,000 रुपये के धन लागू करेंगे के शुल्क के साथ इस तरह के परिवर्तन/संशोधन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित प्ररूप 'सीजीएन' फाइल करके विदेशी एंटिटी के नाम में परिवर्तन की भी सूचना देगा।

(ii) भारत में ग्लोबल नेटवर्क की घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) के उपर्युक्त 7 (i) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक परिवर्तन के लिए, आईसीएआई नोडल अधिकारी को वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जनित करेगा और भेजेगा। हालांकि, नेटवर्क में घरेलू एंटिटीओं के प्रवेश या बाहर होने के मामले में, ओटीपी पुष्टिकरण नोडल अधिकारी और संबंधित घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) को भेजा जाएगा, जो प्रवेश करती है/बाहर निकलती है और ओटीपी के सत्यापन पर, इसे ग्लोबल नेटवर्क के संगठन में इस तरह के परिवर्धन या विलोपन को प्रभावित करने के लिए ठोस प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

(iii) विलंब की दशा में, आईसीएआई के मानदंडों के अनुसार प्ररूप 18 के संबंध में फर्मों के मामले में लागू विलंब को माफ करने से संबंधित उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(iv) विदेशी एंटिटी या उसके ब्रांड नाम में कोई भी परिवर्तन, एफिलिएशन मंजूर करना या प्रत्यायन लेना; नोडल अधिकारी द्वारा आईसीएआई को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाएगा।

बशर्ते, जहां प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय या उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली 50% से अधिक घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) वही रहती हैं, वह ग्लोबल नेटवर्क उसी रजिस्ट्रीकरण संख्या के

अधीन जारी रह सकता है, बशर्ते कि संशोधित समझौतों और सहायक दस्तावेजों के साथ अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए आईसीएआई को अनुरोध फाइल करना पड़े, आईसीएआई के अनुमोदन के अद्यतन यथा आवश्यक हो। इस प्रयोजन के लिए, नोडल अधिकारी परिवर्तन को सूचित करेगा और अद्यतन नाम के अनुमोदन के लिए 90 दिनों की अवधि के भीतर 10,000/- रुपये धन लागू करेंगे के शुल्क के साथ प्ररूप 'सीजीएन-1' फाइल करेगा; और इन दिशानिर्देशों के अधीन यथापेक्षित सभी पुनरीक्षित नेटवर्क करारों, पूरक करारों, घोषणाओं और सहायक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

- (v) आईसीएआई प्रस्तुतियों की जांच करेगा और ग्लोबल नेटवर्क के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन को उसके कारणों को लेखबद्ध करने के बाद अनुमोदित या अस्वीकार कर सकेगा जो आमतौर पर संबंधित प्ररूप प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के पश्चात् नहीं होगा। हालांकि, नाम को अवांछनीय मानकर खारिज करने से पहले आईसीएआई द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रस्तावित नाम की अस्वीकृति के मामलों में, आईसीएआई आवेदक को वैकल्पिक नाम का विकल्प प्रस्तुत करने की सलाह देगा। आवेदक वैकल्पिक विकल्पों के साथ 30 दिनों के भीतर फिर से आवेदन कर सकेगा जिस पर आईसीएआई द्वारा विचार किया जाएगा और आईसीएआई इस तरह के परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तथापि, इस खंड में आवश्यक परिवर्तन की किसी भी अस्वीकृति के बाद सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। पुनः आवेदन पर आईसीएआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय III

स्वीकृत रुपरेखा और प्रतिषिद्ध सेवाएं, रजिस्ट्रीकरण के परिणाम, वार्षिक रिपोर्टिंग, आईसीएआई की नैतिक आचार संहिता का अनुपालन, परिसीमाएँ और रजिस्ट्रीकरण रद्द करना

8. ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स के बीच एरेंजमेंट की स्वीकृत रुपरेखा

(i) आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटी को ग्लोबल नेटवर्क बनाने या अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी एंटीटी/(एंटीटीओं) के साथ एफिलिएशन/एरेंजमेंट करने की अनुमति है तथा घरेलू नेटवर्क विदेशी एंटीटीओं को एफिलिएशन प्रदान करना या इसके तद्विपरीत ग्लोबल नेटवर्किंग के लिए।

(ii) ग्लोबल नेटवर्किंग में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित हैं:

क. साझा संसाधनों के तालमेल को प्राप्त करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और अपने कार्य या अन्य निबंधनों के लिए प्रति उपयोग भुगतान पर डिजिटल प्लेटफार्मों को तैनात करने की क्षमता (निर्माण के बिना) जैसी सहमति हो;

ख. ऐसे नेटवर्क और सदस्य फर्मों का जिनके पास अंतरराष्ट्रीय मान्यता है भाग होने से जुड़े प्रतिष्ठित मूल्य जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों तक बेहतर पहुंच होगी;

ग. स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों से परे सेवा बाजारों में या तो स्वयं या नेटवर्क के सदस्यों को आउटसोर्सिंग कार्य के माध्यम से विश्वास हासिल करना;

घ. अंतर्राष्ट्रीय विलय और अधिग्रहण, सम्यक् तत्परता संव्यवहारों में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाना;

ङ. घरेलू कांस्टिट्यूटेंट्स फर्म (फर्मों) का अवसर कि वे स्वयं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सहयोगियों के लिए उपकरण, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के निर्माण में पहुंच प्राप्त करें/योगदान करें;

च. सदस्य फर्मों को ऐसे अंतराल पर ऐसे एकमुश्त और आवर्ती शुल्क का भुगतान और/या प्राप्त करने की अनुमति है जो पारस्परिक रूप से आगे के नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए सहमत हों ;

(iii) ग्लोबल नेटवर्क का विस्तृत रुपरेखा इस प्रकार है:

नेटवर्क का उद्देश्य क्षमता संवर्धन, सेवा गुणवत्ता उन्नयन, साझा संसाधनों के उपयोग तथा प्रभावी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, जिससे बड़े असाइनमेंट ग्रहण किए जा सकें तथा परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हो। साथ ही, यह अनिवार्य है कि नैतिक आवश्यकताओं को अक्षरशः पूरा किया जाए। ये आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 विधिक और नैतिक अनुपालनों को सुनिश्चित करते हुए नेटवर्क और उनके कांस्टिट्यूटेंटों के लिए असीमित वृत्तिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर विकसित किए गए हैं:

1. वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, घरेलू एंटीटी/(एंटीटीओं) अक्सर अन्य फर्मों और एंटीटीओं के साथ बड़ी संरचनाएं बनाती हैं। क्या ये बड़ी संरचनाएं एक नेटवर्क बनाती हैं यह विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि फर्म और एंटीटीओं कानूनी रूप से अलग और पृथक् हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक बड़ी संरचना का उद्देश्य केवल काम के रेफरल को सुविधाजनक बनाना हो सकता है, जो अपने आप में एक नेटवर्क बनाने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है। वैकल्पिक रूप से, एक बड़ी संरचना ऐसी हो सकती है जिसका उद्देश्य सहयोग करना हो और घरेलू एंटीटी/(एंटीटीओं) एक सामान्य ब्रांड नाम, गुणवत्ता नियंत्रण की एक

सामान्य प्रणाली, या महत्वपूर्ण वृत्तिक संसाधन साझा करती हैं और परिणामस्वरूप इसे एक नेटवर्क माना जाता है।

2. यह एक सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के रूप में निष्कर्ष निकालकर यह अवधारण किया जाएगा कि क्या सभी विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या एंटीटीयां इस प्रकार सहबद्ध हैं कि उन्हें देखकर एक नेटवर्क की विद्यमानता प्रतीत होती है। यह अवधारण पूरे नेटवर्क में समान रूप से लगातार लागू किया जाएगा।
3. जहां एक एसोसिएशन का उद्देश्य कोऑपरेशन करना है और यह स्पष्ट रूप से संरचना के भीतर संस्थाओं के बीच लागत-साझाकरण के उद्देश्य से है तो जब तक अन्यथा साबित न हो इसे एक नेटवर्क समझा जाता है। इसके अलावा, यदि लागतों का बंटवारा केवल संपरीक्षा पद्धतियों, मैनुअल या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास से संबंधित लागतों तक सीमित है, तो यह अपने आप में एक नेटवर्क के सृजन हेतु पर्याप्त है। हालांकि, सारहीन लागतों को साझा करना अपने आप में एक नेटवर्क नहीं बनाता है।
4. जहां एक एसोसिएशन का उद्देश्य किसी भी प्रकार के साधनों से कोऑपरेशन करना है, वहां इसे एक नेटवर्क समझा जाता है।
5. जहां एक एसोसिएशन का उद्देश्य सहयोग करना है और संरचना के भीतर एंटीटीओं सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं को साझा करती हैं, वहां इसे एक नेटवर्क समझा जाता है। इस प्रयोजन के लिए, सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण नीतियां और प्रक्रियाएं वे हैं जिन्हें पूरे नेटवर्क में डिजाइन, कार्यान्वित और उनकी निगरानी की जाती है।
6. जहां एक एसोसिएशन का उद्देश्य कोऑपरेशन करना है और संरचना के भीतर एंटीटीओं एक सामान्य प्रचालन रणनीति साझा करती हैं, वहां इसे एक नेटवर्क समझा जाता है। एंटीटीओं द्वारा सामान्य रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य प्रचालन रणनीति साझा करने में एक समझौता शामिल होता है, चाहे वह लिखित रूप में हो या अन्यथा।
7. जहां एक एसोसिएशन का उद्देश्य कोऑपरेशन करना है और संरचना के भीतर की एंटीटीओं एक सामान्य ब्रांड नाम के उपयोग को साझा करती हैं, वहां इसे एक नेटवर्क माना जाता है, जिसका एक समान ब्रांड नाम, आद्याक्षर, या एक नाम, लोगो या प्रतीक चिन्ह है। एक फर्म को एक सामान्य ब्रांड नाम का उपयोग करने के लिए समझा जाता है यदि इसमें उदाहरण के लिए, सामान्य ब्रांड नाम के हिस्से के रूप में, या इसके साथ फर्म का नाम शामिल है, जब फर्म का कोई पार्टनर संपरीक्षा रिपोर्ट, प्रमाण पत्र या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है।
8. जहां एक एसोसिएशन का उद्देश्य कोऑपरेशन करना है और संरचना के भीतर एंटीटीओं वृत्तिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साझा करती हैं, वहां इसे एक नेटवर्क माना जाता है। वृत्तिक संसाधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - सामान्य प्रणालियाँ जो फर्मों को ग्राहक डेटा, बिलिंग और समय रिकॉर्ड जैसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं;
 - पार्टनर, कर्मचारी और कर्मचारिवृन्द;
 - तकनीकी विशेषज्ञता या यह ज्ञान कि कैसे तकनीकी या उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों, संव्यवहारों या आश्वासन नियोजनों के लिए घटनाओं पर परामर्श;
 - संपरीक्षा पद्धति या संपरीक्षा मैनुअल; तथा

- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रसुविधाएं।

9. साझा किए गए वृत्तिक संसाधन यह निष्कर्ष निकालने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं कि फर्म, नेटवर्क फर्म, हैं। जहां साझा संसाधन सामान्य संपरीक्षा पद्धति या संपरीक्षा मैनुअल तक सीमित हैं, कर्मियों या ग्राहक या बाजार की जानकारी का कोई आदान-प्रदान नहीं है, साझा संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। यही बात एक सामान्य प्रशिक्षण प्रयास पर भी लागू होती है। जहां, हालांकि, साझा संसाधनों में लोगों या सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल होता है, जैसे कि जहां कर्मचारियों को एक साझा पूल से लिया जाता है, या नेटवर्क के भीतर एक सामान्य तकनीकी विभाग बनाया जाता है ताकि भाग लेने वाली फर्मों को तकनीकी सलाह प्रदान की जा सके जिसका फर्मों को पालन करने की आवश्यकता होती है, वहां एक उचित और सुभिन्न तीसरे पक्ष द्वारा यह निष्कर्ष निकालने की अधिक संभावना है कि साझा संसाधन महत्वपूर्ण हैं।

9. प्रतिषिद्ध सेवाएं

(i) नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्लोबल नेटवर्क में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) द्वारा प्रदत्त/प्राप्त सेवाओं के संबंध में सभी क्रियाकलाप सन्निकट कीमत के आधार पर और भारतीय कानूनों और विनियमों के सख्त अनुपालन में हैं। यदि कोई क्रियाकलाप आईसीएआई की आचार संहिता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो आईसीएआई विधि के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक घरेलू एंटीटी/(एंटीटीओं) ऐसे दस्तावेजों को बनाए रखें जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि क्रियाकलाप आर्म्स लेंथ के आधार पर और देश के कानूनों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्थितियाँ प्रतिषिद्ध सेवाओं के अंतर्गत आएंगी, जो संपूर्ण नहीं हैं।

क) आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत ग्लोबल नेटवर्क की घरेलू एंटीटीओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्दिष्ट अपने संपरीक्षा ग्राहकों के लिए कोई भी प्रतिषिद्ध सेवा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) किसी गैर-सदस्य के साथ शुल्क या लाभ का कोई भी बंटवारा आईसीएआई की आचार संहिता और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, विनियमों और उससे संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

10. रजिस्ट्रीकरण के परिणाम

(i) नोडल अधिकारी घरेलू एंटीटी/(एंटीटीओं) के सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते, जो ग्लोबल नेटवर्क की कांस्टिट्यूटेंट्स हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 120 दिनों के भीतर अपेक्षित प्ररूप 'डीजीएन' में आईसीएआई के साथ ग्लोबल नेटवर्क की वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

(ii) सभी वृत्तिक लेखन सामग्री (मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) में, ग्लोबल नेटवर्क के एक भाग के रूप में घरेलू एंटीटी आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी भी ग्लोबल नेटवर्क के एक सदस्य फर्म होने के तथ्य का उल्लेख करने की हकदार है। फर्म अपनी वृत्तिक लेख सामग्री पर अपने नाम के अलावा "**** (ग्लोबल नेटवर्क का नाम) की सदस्य" या "**** (ग्लोबल नेटवर्क का नाम) की सदस्य फर्म" लिख सकती है। इसके अलावा, बहुल एफिलिएशनों के मामले में, तदनुसार वृत्तिक लेखन सामग्री (मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक) में इसका उल्लेख किया जाएगा।

(iii) यह अवधारित करने के लिए कि कोई घरेलू एंटीटी किसी विदेशी एंटीटी का कांस्टिट्यूटेंट्स है या नहीं, आईसीएआई ऐसी जानकारी और दस्तावेज मांग सकता है जो उसे उचित और आवश्यक लगे और आईसीएआई द्वारा किए जाने वाले ऐसे अनुरोध पर घरेलू एंटीटी 30 दिनों या आईसीएआई द्वारा अनुमत विस्तारित समय के भीतर मांगी गई जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध करने की बाध्यता के अधीन होगी।

- (iv) यदि भारत में किसी नई एंटीटी को इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स के रूप में शामिल किया जाता है, तो घरेलू एंटीटी ऐसे उल्लंघन का ज्ञान होने पर या यथोचित रूप से ज्ञान होने की प्रत्याशा पर आईसीएआई को संसूचित किए जाने के अधीन ऐसे ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स के रूप में बने रहने से 30 दिनों के भीतर 'प्ररूप ईजीएन' फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्वयं को वापस ले लेगी।
- (v) इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर 'प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट' का गठन करेगा। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कारण या लोपों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य मिसकन्डक्ट की जांच की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 या समय-समय पर यथा संशोधित और यथा लागू उक्त नियम के अनुसार ऐसी घरेलू एंटीटी के साथ-साथ इसके पार्टनरों/नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- क) आईसीएआई या घरेलू एंटीटी का कोई भी सदस्य किसी भी माध्यम (मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक) में स्वयं के बारे में किसी भी ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स के रूप में दावा करता है या उल्लेख करता है, जो आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं है;
- ख) इन दिशानिर्देशों के अधीन आईसीएआई द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना या दस्तावेज (दस्तावेजों) को प्रस्तुत न करना, प्रकट न करना या आईसीएआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य गैर-अनुपालन; या
- ग) घरेलू एंटीटी नेटवर्किंग के लिए दिशानिर्देश 2011 के अधीन पहले फाइल किए गए प्ररूप डी के संबंध में इन दिशानिर्देशों के अधीन अनुबंधित समय के भीतर या विस्तारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित प्ररूप एजीएन फाइल करने में विफल रहती है या नहीं, यदि इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना के समय ऐसा नेटवर्क प्रचलन में है।
- घ) इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स के रूप में भारत में किसी भी नई एंटीटी को शामिल करना, और मौजूदा परिस्थितियों के संबंध में उल्लंघन ज्ञात होने या उचित रूप से ज्ञात होने की प्रत्याशा के 30 दिनों के भीतर ऐसे ग्लोबल नेटवर्क से हटने में विफलता;
- ङ) भारत में ग्लोबल नेटवर्क के किसी भी कांस्टिट्यूटेंट्स द्वारा इन दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन, जो आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटी के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है, को ग्लोबल नेटवर्क के नोडल अधिकारी के खिलाफ एक प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट माना जाएगा।

11. वार्षिक रिपोर्टिंग

- (i) नोडल अधिकारी द्वारा अनुपालन की वार्षिक रिपोर्टिंग की समीक्षा और इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।
- (ii) नोडल अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 120 दिनों के भीतर अपेक्षित प्ररूप 'डीजीएन' में आईसीएआई के पास एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मांगी गई सभी जानकारी शामिल होगी, लेकिन यह पूंजी संरचना, यदि अनुमति दी गई हो तो पूंजी प्रवाह, लागत या राजस्व साझाकरण आदि तक सीमित नहीं होगी।
- (iii) प्ररूप 'डीजीएन' में वार्षिक विवरणी में विदेशी एंटीटी के कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, घरेलू एंटीटी के कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, पार्टनरों की कुल संख्या से संबंधित विवरण, घरेलू एंटीटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्मचारियों की संख्या, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस तक घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) अथवा उसके

किसी भी पार्टनर के विरुद्ध आपराधिक या अनुशासनात्मक मामलों/कार्यवाहियों की कुल संख्या तथा ऐसे मामलों का विवरण, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए घरेलू ऐंटिटी का कुल राजस्व (ऐंटिटी-वार), तथा संबद्धता प्रदान करने या प्राप्त करने वाली विदेशी ऐंटिटी या ग्लोबल नेटवर्क से/को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घरेलू ऐंटिटी द्वारा अदा या प्राप्त की गई कुल फीस एवं व्यय (भारतीय रुपये में) का विवरण सम्मिलित होगा।

- (iv) ऐसी वार्षिक विवरणी को नोडल अधिकारी द्वारा इसकी शुद्धता और पूर्णता के रूप में एक घोषणा के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
- (v) इसके अतिरिक्त, आईसीएआई किसी भी घरेलू ऐंटिटी (ऐंटिटीओं) से संबंधित कोई भी विवरण (इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में) मांग सकता है, जो ग्लोबल नेटवर्क का कांस्टिट्यूटेंट्स है, ताकि विधि के अनुपालन के बारे में पुनः आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिसमें किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना की मांग करने का अधिकार शामिल है या इसके अलावा, जैसा कि ग्लोबल नेटवर्क के बने रहने के दौरान वह उचित समझे, नोडल अधिकारी से वार्षिक विवरणी फाइल करने के 180 दिनों के भीतर ऐसी मांग कर सकेगा। तथापि, अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में 180 दिनों की परिसीमा लागू नहीं होगी।

12. आईसीएआई की नैतिक आचार संहिता का अनुपालन

- (i) ग्लोबल नेटवर्क की घरेलू ऐंटिटी (ऐंटिटीओं) से एक-दूसरे के साथ और साथ ही ग्लोबल नेटवर्क के अन्य सदस्यों या कांस्टिट्यूटेंटों के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने की आशा है। ग्लोबल नेटवर्क की घरेलू ऐंटिटीओं को सामान्य रूप से देश की सभी लागू विधियों और समय-समय पर आईसीएआई की आचार-संहिता और विशेष रूप से निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करना आवश्यक होगा:
 - क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अनुसार, यदि ग्लोबल नेटवर्क की घरेलू ऐंटिटी में से एक भारतीय ऐंटिटी का वैधानिक लेखा परीक्षक है, तो नेटवर्क की अन्य घरेलू ऐंटिटी/(ऐंटिटीओं) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन वृत्तिक समनुदेशन को स्वीकार नहीं करेंगी जो कानूनी लेखा परीक्षक के लिए प्रतिषिद्ध हैं;
 - ख) उन मामलों में जहां फर्मों का चक्रानुक्रम किसी भी विधि के अधीन या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है, वहां नोडल अधिकारी कांस्टिट्यूटेंटों को भारत में लागू प्रावधानों के बारे में सूचित करेगा;
 - ग) फर्म को आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत अन्य फर्मों के साथ लाभ साझा करने की अनुमति है। तथापि, आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्मों और आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं होने वाले किसी भी कांस्टिट्यूटेंट्स के बीच शुल्क, लाभ को साझा करने या पार्टनरशिप की अनुमति नहीं है। ग्लोबल नेटवर्कों में फर्म अन्य कांस्टिट्यूटेंटों के साथ लागत या राजस्व साझा कर सकती हैं, जिसका विवरण नेटवर्क द्वारा आईसीएआई को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लागत/राजस्व साझाकरण विवरण विशिष्ट और विवरणवार होना चाहिए;
 - घ) नैतिक अनुपालन में आईसीएआई की परिषद द्वारा जारी की गई सभी सलाह और दिशानिर्देश/निर्देश और/या समय-समय पर यथा संशोधित आचार संहिता के भाग शामिल होंगे।
- (ii) जहां कहीं भी आचार संहिता मौन है, वहां आईईएसबीए आचार संहिता के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

13. जानकारी और अभिलेख की मांग करना

आईसीएआई इन दिशानिर्देशों के किसी भी कथित उल्लंघन के संबंध में घरेलू एंटीटी/(एंटीटीओं) के लिए आवश्यक किसी भी अभिलेख, दस्तावेज और जानकारी के लिए मांग कर सकता है।

14. परिसीमाएँ

- (i) वे घरेलू एंटीटी, जिनका किसी भी विदेशी एंटीटी के साथ कोई नेटवर्क एरेंजमेंट नहीं है, किन्तु जो (i) एलायंस संबंधी दिशानिर्देशों; अथवा (ii) नेटवर्किंग संबंधी दिशानिर्देशों; अथवा (iii) लीड फर्म अवधारणा के साथ नेटवर्किंग संबंधी दिशानिर्देशों, जिन्हें परिषद् द्वारा मार्च, 2021 में “भारतीय सीए फर्मों के नेटवर्किंग संबंधी संशोधित दिशानिर्देश, 2021” के रूप में जारी किया गया था, के अधीन पंजीकृत हैं, वे यथावत् कार्य करती रहेंगी।
- (ii) ये दिशानिर्देश अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रक्रियाओं और उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं, जो विदेशी एंटीटियों के साथ पारस्परिक समर्थन और सहयोग की प्रक्रिया द्वारा घरेलू एंटीटियों द्वारा भारत में लागू किसी भी कानून के प्रतिकूल नहीं हैं ताकि ऐसी घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) द्वारा सेवा गुणवत्ता में वृद्धि और एकरूपता को समर्थ बनाया जा सके और ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और ग्लोबल सेवा प्रदाताओं के रूप में मान्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके।
- (iii) ग्लोबल नेटवर्क के संबंधित कांस्टिट्यूटेंटों पर लागू होने वाले कोई भी नियम या विनियम लागू होते रहेंगे। इन दिशानिर्देशों का आशय ऐसी एंटीटीओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में लागू विनिर्दिष्ट विनियमों का अध्यारोहण करना नहीं है।

15. ग्लोबल नेटवर्क का रजिस्ट्रीकरण रद्द करना

- (i) आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत ग्लोबल नेटवर्क, अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से, सभी घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) द्वारा विधिवत् अधिकृत ‘प्ररूप ईजीएन’ दायर कर, अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने हेतु आवेदन कर सकेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ii) यदि इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के उल्लंघन में किसी नई एंटीटी को ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स के रूप में शामिल किया जाता है, तो संबंधित घरेलू एंटीटी तुरंत ग्लोबल नेटवर्क से खुद को वापस ले लेगी और उसे ऐसे ग्लोबल नेटवर्क के साथ अपने जुड़ाव को रद्द करने के लिए उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन इस तरह के उल्लंघन के बारे में उसे पता है या होना चाहिए, ‘प्ररूप ईजीएन’ फाइल करने की आवश्यकता होगी। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात किया गया है।
- (iii) आईसीएआई इस तरह के रजिस्ट्रीकरण को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, जो आमतौर पर ‘प्ररूप ईजीएन’ प्राप्त होने के 60 दिनों के बाद नहीं होगा। इसके अलावा, आईसीएआई को घरेलू एंटीटी के ऐसे अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है जो वह आवश्यक समझे, और नोडल अधिकारी को ग्लोबल नेटवर्क की ओर से 30 दिनों की अवधि के भीतर आईसीएआई द्वारा मांगे जाने पर ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- (iv) आईसीएआई, स्वतः : संज्ञान या प्राप्त किसी भी सूचना या शिकायत के आधार पर, ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-

क) रजिस्ट्रीकरण भौतिक तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या छिपा कर प्राप्त किया गया था;

ख) नेटवर्क ने इन दिशानिर्देशों या अधिनियम, विनियमों या आचार संहिता के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है; या

ग) इस तरह के रजिस्ट्रीकरण को जारी रखना वृत्ति या सार्वजनिक हित के हितों के प्रतिकूल है।

परंतु यह कि नोडल अधिकारी और संबंधित घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- (v) अनुपालन के संबंध में समाधान हो जाने पर, आईसीएआई आवेदन को मंजूरी देगा, ग्लोबल नेटवर्क और उसके रजिस्ट्रीकरण संख्यांक को बंद कर देगा, और नोडल अधिकारी को आमतौर पर 60 दिनों के भीतर सूचित करेगा और इस तरह के अनुमोदन की तारीख से रजिस्ट्रीकरण रद्द करना प्रभावी होगा।
- (vi) ऐसी तारीख से, घरेलू एंटीटी किसी भी प्रकार के वृत्तिक संसूचना या लेखन सामग्री में ग्लोबल नेटवर्क के नाम का उपयोग करना बंद कर देगी।
- (vii) रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से कांस्ट्रिक्टेंटों या नोडल अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान किए गए किसी भी कार्य, ओमिटेड या मिसकंडक्ट के लिए दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकेगा और आईसीएआई इसके संबंध में पूर्ण अधिकारिता को बनाए रखेगा।

अध्याय IV विविध उपबंध

16. नोटिस की तामील का तरीका

ग्लोबल नेटवर्क पर तामील किए जाने के लिए आवश्यक किसी भी आदेशिका, नोटिस या अन्य दस्तावेज को पर्याप्त रूप से तामील किया गया माना जाएगा, यदि इसे नोडल अधिकारी को संबोधित किया गया है, जिसका नाम और पता आईसीएआई को प्रस्तुत किए गए हैं और भारत में पते पर पारित दिए गए हैं, या डाक द्वारा भारत में पते पर भेजे गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है। यह नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह नेटवर्क के ऐसे सभी कांस्टिच्यूएंटों को तुरंत सूचित करे।

17. सहयोगी इन दिशानिर्देशों के अधीन यथा अपेक्षित घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) और नेटवर्क की विदेशी एंटिटी के बीच की गई एरेंजमेंट/करार और उसमें बाद में किए गए संशोधन, यदि कोई हों, को 90 दिनों के भीतर आईसीएआई के साथ साझा किया जाएगा। ग्लोबल नेटवर्क का ऐसा करार/एरेंजमेंट सभी लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा आईसीएआई के समय-समय पर विनियमों के अनुपालन में होगी।

18. प्रत्येक ग्लोबल नेटवर्क के घरेलू कांस्टिच्यूएंट्स और उसके कांस्टिच्यूएंट्स यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्लोबल नेटवर्क का कामकाज अपनी लागत पर प्रासंगिक डेटा संरक्षण कानूनों के अधीन अपने दायित्व का पालन करेंगे।

19. ग्लोबल नेटवर्क के कांस्टिच्यूएंट्स अन्य पक्षों की वृत्तिक स्थिति, क्षमता, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, मानव के साथ-साथ भौतिक संसाधनों, क्षमताओं के बारे में अपने स्वयं के उचित परिश्रम को पूरा करेंगे। कांस्टिच्यूएंटों के बीच किसी मुद्दे या व्याख्या से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, पक्षकार ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण और स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करेंगी। यदि ऐसा समाधान संभव नहीं होता है, तो विवादों को माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, या पारस्परिक रूप से सहमत प्रक्रिया के अनुसार, आईसीएआई का कोई सहारा लिए बिना माध्यस्थ के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

20. भारत में ग्लोबल नेटवर्क का संचालन भारत में लागू सभी कानूनों के अनुपालन के अधीन होगा।

21. नियंत्रणों, प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए, आईसीएआई, सभी अधिकारिताओं में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है।

22. ग्लोबल नेटवर्क समय-समय पर आईसीएआई द्वारा आवश्यक यथापेक्षित प्रकटन करेगा और अनुपालन सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

23. इन दिशानिर्देशों के लागू होने के बावजूद, इन दिशानिर्देशों के लागू होने से पहले अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी मिसकंडक्ट के लिए आरंभ की गई किसी भी कार्यवाही को अप्रभावी नहीं माना जाएगा और ऐसी कार्यवाही को अधिक्रांत नहीं किया जाएगा।

24. इन दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू एंटिटीओं द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और आईसीएआई द्वारा केवल इन दिशानिर्देशों को लागू करने और प्रशासित करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा और लागू विधि के अधीन या संबंधित एंटिटी की पूर्व सहमति के अलावा किसी तीसरे पक्षकार को प्रकट नहीं किया जाएगा।
25. यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो परिषद्, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सामान्य या विशेष-आदेश द्वारा, परिपत्रों द्वारा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
26. इन दिशानिर्देशों में निहित कुछ भी विदेशी लेखा फर्मों सहित एंटिटी (एंटिटीओं) के कार्यकरण को विनियमित या नियंत्रित करने के रूप में नहीं माना जाएगा; इन दिशानिर्देशों के अधीन आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण योग्य एंटिटी (एंटिटीओं) के अलावा।
27. परिषद् की स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति—इन दिशानिर्देशों को लागू करने या उनके निर्वचन में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, परिषद् के पास ऐसे स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी, जो सभी संबद्ध व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।

परिशिष्ट-I**ग्लोबल नेटवर्क के नाम की स्वीकृति**

(आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के पैरा 4 (ii) में निर्दिष्ट और दिशानिर्देशों का एक अभिन्न अंग है)

ग्लोबल नेटवर्क के नामों के उदाहरणात्मक उदाहरण*:

- क) एबी एंड ग्लोबल नेटवर्क
- ख) एबी ग्लोबल नेटवर्क
- ग) ए एंड ग्लोबल नेटवर्क
- घ) ए (बी का सदस्य)

*जहां ए आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटी को दर्शाता है;

*बी विदेशों में मौजूद किसी एंटीटी या नेटवर्क को दर्शाता है

- * जहां एक से अधिक घरेलू कॉन्स्ट्रूएण्ड्स हैं, तो 'ए' में उनमें से किसी एक या उन सभी का संयोजन शामिल हो सकता है, जो आपस में समझौते के साथ या 'नेटवर्किंग के लिए दिशानिर्देश, 2021' में निर्दिष्ट है।
- * ऐसे मामलों में जहां कई घरेलू एंटीटीओं किसी विशिष्ट संक्षिप्त नाम या संयुक्त/व्यक्तिगत नाम का चयन किए बिना किसी विदेशी एंटीटी/ग्लोबल नेटवर्क के साथ एफिलिएशन के लिए एक ही आवेदन में संयुक्त रूप से आवेदन करती हैं, तो अक्षर 'ए' ऐसी प्रत्येक घरेलू एंटीटी को व्यक्तिगत रूप से निरूपित करेगा। तदनुसार, प्रत्येक घरेलू एंटीटी अपने स्वयं के नाम का उल्लेख कर सकती है और उसके बाद प्रत्यय "(बी का सदस्य)" प्रत्यय लगा सकती है।

प्ररूप 'एजीएन' सं. _____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**ग्लोबल नेटवर्क के लिए नाम के अनुमोदन हेतु आवेदन**

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं और विदेशी एंटीटीओं के बीच आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 का प्रासंगिक नियम देखें]

1. ग्लोबल नेटवर्क का प्रस्तावित नाम:

i) (वरीयता के क्रम में)

ii)

iii)

iv)

2क ग्लोबल नेटवर्क/विदेशी एंटीटी (यदि लागू हो) से एफिलिएशन लेने वाली भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) का विवरण :

क्र. सं.	नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या/यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर/रजिस्ट्रीकरण संख्या।
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

2ख विदेशी एंटीटी/एंटीटीओं को एफिलिएशन प्रदान करने वाले आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क का विवरण (यदि लागू हो):

क्र. सं.	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क का नाम-	कांस्टिट्यूटेंट्स घरेलू एंटीटीओं (नाम और पता)	यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर/रजिस्ट्रीकरण संख्या
i)		i) ii) iii) iv)	

3. घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) को एफिलिएशन प्रदान करने/प्राप्त करने वाली ग्लोबल नेटवर्क/विदेशी एंटीटी का विवरण (यदि लागू हो):

क्रम सं.	एंटिटी का नाम	वह अधिकारिता जिसके अंतर्गत विदेशी एंटिटी रजिस्ट्रीकृत है	प्रासंगिक विधि जिसके विदेशी एंटिटी रजिस्ट्रीकृत है	टीआरसी/टीआईएन/एलईआई सं. ग्लोबल नेटवर्क का (कॉपी संलग्न करें)
i				
ii				
iii				
iv				

4. विदेशी एंटिटी के कारोबार के प्रमुख स्थान का पता:

	ज़िप/पिन	
--	----------	--

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

5. घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) के कारोबार के प्रधान स्थान का पता:

	ज़िप/पिन	
--	----------	--

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

6. प्रस्तावित नेटवर्क की ओर से नोडल अधिकारी का पता:

नाम:

--

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

पता

ज़िप कोड:

आईसीएआई सदस्यता
संख्या:गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की
तिथिगुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र की
वैधता (राज्य तिथि/अवधि)
(प्रमाणपत्र संलग्न करें)

7. आवेदन के साथ जमा किए गए 10,000 रुपये धन लागू करें की जांच शुल्क का विवरण। (सबूत संलग्न करें)।

8. घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सटीक है। मैं/हम आगे यह पुष्टि करते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी भौतिक जानकारी का ओमिटेड नहीं किया गया है, मिथ्या निरूपण नहीं किया गया है या छुपाया नहीं गया है।

कृपया पृथक् पृष्ठ संलग्न करें/जहां भी आवश्यक हो, तालिका में अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ें

मैं/हम लागू दिशानिर्देशों के अधीन आज्ञापक विहित समय सीमा के भीतर यहां प्रस्तुत किए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन, संशोधन या अपडेट के बारे में आईसीएआई को तुरंत सूचित करने का वचन देते हैं।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि ग्लोबल नेटवर्क का प्रस्तावित नाम पृथक् है और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988, प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950, कंपनी अधिनियम, 2013, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुपालन में है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यह नाम निर्धारित

दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई के अनुमोदन के अधीन है और आईसीएआई किसी भी ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसे वह अवांछनीय मानता है, या यदि उपरोक्त प्रावधानों के किसी उल्लंघन, विरोधाभास या अतिलंघन की पहचान की जाती है या शिकायत के माध्यम से इसके संज्ञान में लाया जाता है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि आईसीएआई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित नाम आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी भी विद्यमान घरेलू एंटीटी या घरेलू नेटवर्क के समान या उससे मिलता-जुलता नहीं है। यदि प्रस्तावित नाम मौजूदा रजिस्ट्रीकृत नाम के समान पाया जाता है, तो आईसीएआई वैकल्पिक नाम के विकल्प प्रस्तुत करने की सलाह दे सकता है, और आवेदक ऐसे वैकल्पिक विकल्पों के साथ 30 दिनों के भीतर फिर से आवेदन कर सकता है, जिस पर आईसीएआई द्वारा विचार किया जा सकेगा। मैं/हम यह भी समझते हैं और सहमत हैं कि आईसीएआई, किसी भी समय, नाम दिए जाने के बाद उसका अनुमोदन वापस ले सकता है। आवेदन पर आईसीएआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यह वचनबंध पूरे प्राधिकार, जिम्मेदारी और सद्भाव के साथ निष्पादित किया जाता है।

स्थान: _____

तारीख: _____

ग्लोबल नेटवर्क के लिए और उसकी ओर से
नोडल अधिकारी/ अधिकारियों सह संपर्क व्यक्ति
नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

अनुदेश : प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: -

- क) नेटवर्क के कांस्टिच्यूएंट्स (कों) का गठन करने वाले घरेलू एंटीटी/आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनरों द्वारा आईसीएआई के पास फाइल किए जाने वाले प्राधिकार की एक प्रति।
- ख) घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के साथ विदेशी एंटीटी (एंटीटीओं) के साथ किए गए पूरक समझौते सहित नेटवर्क समझौते की प्रति, यदि कोई हो।
- ग) टीआरसी/टीआईएन/एलईआई प्रमाण की एक प्रति।
- घ) शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

प्ररूप 'बीजीएन' सं. ____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं और विदेशी एंटीटीओं के बीच ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण के लिए दिशानिर्देशों के प्रासंगिक नियम देखें]

1. ग्लोबल नेटवर्क का नाम: जैसा कि आईसीएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है

2. विदेशी एंटीटी के कारोबार के प्रधान स्थान का पता ।

 ज़िप/पिन

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

3. ग्लोबल नेटवर्क से एफिलिएशन लेने वाली भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के नाम और पते:

क्र. सं.	घरेलू एंटीटी के नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या / यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर /रजिस्ट्रीकरण संख्या ।
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

3क विदेशी एंटीटीओं को एफिलिएशन प्रदान करने वाले आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क का विवरण (यदि लागू हो)

क्र. सं.	आईसीएआई में रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क का नाम	कांस्ट्रिक्ट्स घरेलू एंटीटीओं (नाम और पता)	यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर
i)		i) ii) iii) iv)	

4. भारत में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी)/घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के प्रबंध पार्टनर का विवरण:

क्र.सं.	एमआरएन	केएमपी का नाम	पैन	देश कोड के साथ मोबाइल नंबर	ज़िप कोड के साथ संसूचना के लिए पता	ईमेल आईडी
i)						
ii)						

5. घरेलू एंटीटी के कारोबार के प्रधान स्थान का पता:

	ज़िप/पिन	
--	----------	--

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

6. आईसीएआई द्वारा दिए गए ग्लोबल नेटवर्क के नाम की अनुमोदन संख्या और तारीख :

--

7. ग्लोबल नेटवर्क के सृजन की तिथि:

--

8. प्रस्तावित नेटवर्क की ओर से पदाभिहित नोडल अधिकारी का पता:

नाम:

ईमेल:

पता

ज़िप कोड

मोबाइल नं.

आईसीएआई सदस्यता
संख्या:

8क घरेलू एंटिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंटों (पार्टनर और कर्मचारी) की कुल संख्या बताएं, जो कि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन विद्यमान है।

पार्टनरों की
संख्या:

कर्मचारियों की
संख्या :

8ख । पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार किसी पार्टनर या घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं)/आईसीएआई द्वारा रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क के विरुद्ध आपराधिक या अनुशासनिक मामलों या कार्यवाहियों की कुल संख्या।

II बिंदु I के अनुसार मामलों जैसे - लंबित आपराधिक या अनुशासनिक मामलों का विवरण।

निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

क) प्रकृति o आपराधिक o अनुशासनिक

ख) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही हुई है

(i) पार्टनर का नाम

(ii) उस विनियामक/अभिकरण का नाम जिसने अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की है।

(iii) कार्यवाही शुरू करने की तारीख

(iv) इस आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख को मामले की प्रास्थिति ।

--

9. घरेलू एंटीटी/आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क/एंटीटी (एंटीटीओं) के बीच किए गए अनुपूरक करारों (समर्थन दस्तावेजों को संलग्न करें) के साथ नेटवर्क करार (करारों) का ब्यौरा । प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को लागू प्राधिकारी के अनुसार अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

क्रम सं.	समझौते की तिथि	समझौते की अवधि	पक्षकारों का नाम	देश/ देशों	समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करें
i)					
ii)					

10. नेटवर्क बनाने के लिए घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) और विदेशी एंटीटी/ग्लोबल नेटवर्क के बीच सहमत होने वाले खंडों का चयन करें (एकाधिक विकल्प चुने जा सकते हैं । सबूत संलग्न करें)

- क) इसका उद्देश्य संरचना के भीतर कांस्ट्रिक्ट्स के बीच लागत साझा करना है;
- ख) संरचना के भीतर कांस्ट्रिक्ट्स सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं को साझा करते हैं, जिन्हें पूरे नेटवर्क में डिजाइन, कार्यान्वित और उनकी निगरानी की जाती है;
- ग) नेटवर्क के भीतर कांस्ट्रिक्ट्स एक सामान्य प्रचालन रणनीति साझा करते हैं;
- घ) नेटवर्क के भीतर कांस्ट्रिक्ट्स एक सामान्य ब्रांड नाम, सामान्य आद्याक्षर या एक सामान्य नाम, लोगो या प्रतीक चिन्ह को साझा करते हैं;
- ङ) नेटवर्क के भीतर कांस्ट्रिक्ट्स सामान्य वेबसाइट या सामान्य डोमेन नाम, सामान्य ईमेल या सामान्य संचार के किसी भी रूप का उपयोग साझा करते हैं (बड़े पैमाने पर जनता के लिए मुफ्त या सदस्यता के आधार पर उपलब्ध नाम के अलावा);
- च) नेटवर्क के भीतर कांस्ट्रिक्ट्स सामान्य प्रणालियों, पार्टनरों और कर्मचारिवृंद, सामान्य तकनीकी संसाधनों, संपरीक्षा पद्धति या संपरीक्षा मैनुअल, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसुविधाओं या किसी भी संसाधन सहित वृत्तिक संसाधनों के किसी भाग को साझा करते हैं किंतु यह उन तक ही सीमित नहीं है ;
- छ) कोई भी अन्य परिस्थितियां जिसमें कांस्ट्रिक्टों का आचरण या कार्य यह बताना है कि वे इस तरह से सहबद्ध हैं जो एक नेटवर्क का गठन करता है, जैसा कि आईसीएआई द्वारा अवधारित किया जाए ।
- ज) इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, बड़े पैमाने पर जनता के लिए शुल्क और साझाकरण के आधार पर उपलब्ध सह-कार्यस्थल को साझा करने या उपयोग करने के लिए उपरोक्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

झ) उपरोक्त सभी

11. हम समय-समय पर ग्लोबल नेटवर्किंग के संबंध में परिषद द्वारा अधिकथित दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।

12. घोषणा

- i. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि "प्ररूप एजीएन" में हमारे द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए सभी विवरणों को इस प्ररूप के भाग के रूप में माना जाए और प्ररूप एजीएन में प्रस्तुत विवरण से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ii. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि सभी नेटवर्क फर्मों/एंटिटीओं ने आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार आईसीएआई और विदेशी एंटिटीओं के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) के बीच एक नेटवर्क के रूप में काम करने के लिए एक समझौता किया है और आगे पुष्टि करते हैं कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनर/नोडल अधिकारी (अधिकारी) को संबंधित घटक(कों) के अन्य पार्टनरों द्वारा सम्यक्तः अधिकृत किया गया है।
- iii. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सटीक है। मैं/हम आगे यह पुष्टि करते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी सारवान् भौतिक जानकारी का ओमिटेड, दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है या छुपाया नहीं गया है।
- iv. मैं/हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को अनुबंधित समय-सीमा के भीतर, यहां प्रस्तुत किए गए विवरण में किसी भी परिवर्तन या अद्यतन जानकारी के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देते हैं, जैसा कि लागू दिशानिर्देशों के अधीन आज्ञापक है।
- v. यह वचनबंध पूरे प्राधिकार, जिम्मेदारी और सद्भाव के साथ निष्पादित किया जाता है।

स्थान:

तारीख:

ग्लोबल नेटवर्क के लिए और उसकी ओर से
नोडल अधिकारी/ अधिकारियों सह संपर्क व्यक्ति

नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

निर्देश: प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: -

क) पार्टनरों द्वारा आईसीएआई को फाइल किए जाने वाले प्राधिकार की एक प्रति, नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स बनने वाली घरेलू एंटिटी (एंटिटीओं) की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करना।

ख) विदेशी एंटिटी के साथ किए गए नेटवर्क समझौते की प्रमाणित या एपोस्टिल प्रति।

ग) उपरोक्त प्राधिकार के संबंध में क्रम सं. 3 पर केएमपी की पुष्टि

घ) शुल्क भुगतान प्रमाण।

प्ररूप 'सीजीएन' सं. ____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**रजिस्ट्रीकृत ग्लोबल नेटवर्क के गठन में बदलाव के लिए घोषणा**

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं/फर्मों और विदेशी एंटीटीओं के बीच आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के प्रासंगिक नियम देखें]

1. ग्लोबल नेटवर्क का नाम: जैसा कि आईसीएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है

2. ग्लोबल नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण संख्या:

3. विदेशी एंटीटी के व्यवसाय के प्रधान स्थान का पता (किसी भी परिवर्तन के मामले में, अद्यतन पता प्रदान करें)

 ज़िप/पिन

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

4. घरेलू एंटीटी के व्यवसाय के प्रधान स्थान का पता (किसी भी परिवर्तन के मामले में, अद्यतन पता प्रदान करें)।

 ज़िप/पिन

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

5. भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) का नाम और पता जो ग्लोबल नेटवर्क में प्रवेश/बाहर निकलने के इच्छुक हैं:

क्र.सं.	घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या/ यूनिफ नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर /रजिस्ट्रीकरण संख्या।
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

6. भारत में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी)/घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के प्रबंध पार्टनर का विवरण:

क्र. सं.	एमआर एन	केएमपी का नाम	स्थायी खाता संख्या (पैन)	मोबाइल नंबर देश कोड के साथ	ज़िप कोड के साथ संचार के लिए पता	ईमेल आईडी
i)						
ii)						

7. ग्लोबल नेटवर्क की ओर से पूर्ववर्ती पदाभिहित नोडल अधिकारी का पता:

नाम:

ईमेल:

पता

ज़िप कोड

मोबाइल नं.

आईसीएआई

सदस्यता संख्या:

जहां भी आवश्यक हो कृपया पृथक् शीट संलग्न करें/तालिका में अतिरिक्त पंक्तियाँ डालें

8. ग्लोबल नेटवर्क की ओर से नए पदाभिहित नोडल अधिकारी का पता, यदि कोई हो:

नाम:

ईमेल:

मोबाइल नं.

पता

ज़िप कोड

आईसीएआई

सदस्यता संख्या:

गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र
जारी करने की तिथिगुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र की
वैधता
(राज्य तिथि/अवधि)
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. नेटवर्क अनुबंधों/अनुपूरक करार (करारों) में परिवर्तन

नेटवर्क करार (करारों)/पूरक करार (करारों) में किसी भी परिवर्तन की दशा में, ऐसे परिवर्तनों का विवरण प्रदान करें, जिसके अंतर्गत संशोधन की प्रकृति, प्रभाव की तारीख, शामिल पक्षकार और प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें।

क्र. सं.	परिवर्तन की तिथि	संशोधन की प्रकृति	पक्षकारों का नाम	देश/ देशों	समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करें
i)					
ii)					

10. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त के सिवाय, 'प्ररूप एजीएन' में पहले प्रस्तुत किए गए किसी भी विवरण में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

11. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और विदेशी एंटीटी के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटी(ओं) के बीच ग्लोबल नेटवर्क में प्रवेश/बाहर निकलने का प्रस्ताव करती हैं और आगे पुष्टि करती हैं और अभिपुष्टि करती हैं कि आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनर/नोडल अधिकारी को ग्लोबल नेटवर्क की अन्य घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) द्वारा सम्यक् रूप अधिकृत किया गया है।

स्थान :

तिथि :

ग्लोबल नेटवर्क नोडल अधिकारी/ अधिकारियों सह संपर्क व्यक्ति /

नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

निर्देश: प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: -

- a) नेटवर्क के कांस्ट्रिक्ट्यूएंट्स बनने वाली घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनरों द्वारा आईसीएआई के साथ फाइल किए जाने वाले प्राधिकार की एक प्रति।
- b) नोडल अधिकारी में किसी भी परिवर्तन की दशा में, पिछले नोडल अधिकारी से प्राधिकार की एक प्रति, जिस पर सम्यक् हस्ताक्षर किए गए हैं और नए पदाभिहित नोडल अधिकारी को सभी उत्तरदायित्वों के सम्यक् रूप से हस्तांतरण की अभिस्वीकृति को आईसीएआई के पास फाइल किया जाना है।
- c) संशोधित नेटवर्क करार और संशोधित अनुपूरक करारों, यदि कोई हो, की प्रति, जो विदेशी एंटीटी के साथ किए गए हैं।
- d) घरेलू नेटवर्क के मामले में, संशोधित नेटवर्क करार की प्रति और संशोधित अनुपूरक करार, यदि कोई हो, घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के बीच किए गए हैं।
- e) टीआरसी/टीआईएन/एलईआई में परिवर्तन के प्रमाण की एक प्रति
- f) शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

प्ररूप 'सीजीएन' 1 सं. _____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**रजिस्ट्रीकृत ग्लोबल नेटवर्क के अद्यतन नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन**

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं और विदेशी एंटीटीओं के बीच आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 का प्रासंगिक नियम देखें]

1. ग्लोबल नेटवर्क का विवरण।

(i) ग्लोबल नेटवर्क का नाम (आईसीएआई द्वारा यथा अनुमोदित):

(ii) ग्लोबल नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण संख्या:

(iii) ग्लोबल नेटवर्क की तारीख और अनुमोदन संख्या

(iv) ग्लोबल नेटवर्क के गठन की तिथि

2. निम्नलिखित का अद्यतन नाम

(i) ग्लोबल नेटवर्क (वरीयता के क्रम में)

(ii)

(iii)

(iv)

2क. नाम परिवर्तन का कारण:

--

2ख. क्या मूल आवेदकों में से 50% से अधिक अभी भी ग्लोबल नेटवर्क की एरेंजमेंट का भाग बने हुए हैं :

--

3. ग्लोबल नेटवर्क का गठन करने वाली भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) का विवरण (यदि लागू हो):

क्र. सं.	नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या/ यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर /रजिस्ट्रीकरण संख्या।
i)		
ii)		

iii)		
iv)		

3ख. आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क का विवरण जिसने विदेशी एंटीटीओं को एफिलिएशन प्रदान की है (यदि लागू हो)

क्र. सं.	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत- नेटवर्क का नाम	कांस्टिट्यूटेंट्स घरेलू एंटीटीओं (नाम और पता)	यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर
i)			
ii)			
iii)			
iv)			

4. ग्लोबल नेटवर्क में बने रहने के इच्छुक भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) का विवरण

क्र. सं.	नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या/ यूनिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर /रजिस्ट्रीकरण संख्या।
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

5. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी)/भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के प्रबंध पार्टनर/आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क का विवरण।

क्रम सं.	एमआरएन	केएमपी का नाम	पैन	देश कोड के साथ मोबाइल नंबर	ज़िप कोड के साथ संचार के लिए पता	ईमेल आईडी
i)						
ii)						

6. ग्लोबल नेटवर्क का गठन करने वाली विदेशी एंटीटी का विवरण

क्र. सं.	एंटीटी का नाम	वह अधिकारिता जिसके अंतर्गत विदेशी एंटीटी रजिस्ट्रीकृत है	प्रासंगिक कानून जिसके अधीन विदेशी एंटीटी रजिस्ट्रीकृत है	ग्लोबल नेटवर्क का टीआरसी/टिन/एलई आई सं. (प्रति संलग्न करें)
i				

ii				
iii				
iv				

7. विदेशी एंटिटी के व्यवसाय के प्रधान स्थान का पता

	ज़िप कोड	
--	----------	--

ईमेल:

मोबाइल
नंबर

8. घरेलू एंटिटी/आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क के कारोबार के प्रधान स्थान का पता।

	ज़िप कोड	
--	----------	--

ईमेल:

मोबाइल
नंबर

9. ग्लोबल नेटवर्क की ओर से पदाभिहित नोडल अधिकारी का पता।

नाम:

ईमेल:

मोबाइल नं.

पता

ज़िप कोड

आईसीएआई सदस्यता
संख्या:

गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि

गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र की
वैधता
(तिथि/अवधि बताएं)
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. घरेलू एंटीटी/आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्कों और ग्लोबल नेटवर्क/एंटीटी (एंटीटीओं) के बीच किए गए पूरक करारों (समर्थनकारी दस्तावेजों को संलग्न करें) के साथ संशोधित नेटवर्क करार का विवरण। प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को लागू प्राधिकार के अनुसार अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए

क्रम सं.	करार की तिथि	पक्षकारों का नाम	देश/ देशों	समर्थनकारी दस्तावेज़ संलग्न करें
i)				
ii)				

11. आवेदन के साथ जमा किए गए 10,000 रुपये के जांच शुल्क का विवरण। (सबूत संलग्न करें)।

12. घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि सभी नेटवर्क फर्मों/एंटीटीओं ने आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं/फर्मों और विदेशी एंटीटीओं के बीच एक नेटवर्क के रूप में काम करने के लिए एक समझौता किया है, और मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनर/नोडल अधिकारी को संबंधित कांस्टिट्यूटेंट्स एंटीटीओं के अन्य पार्टनरों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ग्लोबल नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण संख्या _____ तारीख _____ के अधीन आईसीएआई के साथ सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, और यह आवेदन आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के प्रावधानों के अनुसार आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू संस्थाओं/फर्मों और विदेशी एंटीटीओं के बीच एक अद्यतन/नए नाम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं और अभिपुष्टि करते हैं कि प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय ग्लोबल नेटवर्क का भाग बनने वाली __ मूल घरेलू एंटीटीओं में से, __ एंटीटीओं (यानी, __%) अभी भी संबद्ध बनी हुई हैं और उन्होंने ग्लोबल नेटवर्क के प्रस्तावित अद्यतन/नए नाम के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति प्रदान की है, जिससे दिशानिर्देशों के अधीन 50% से अधिक की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सटीक है। मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी सारवान् जानकारी का ओमिटेड, दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है या छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम आईसीएआई को निर्धारित समय सीमा के भीतर, किसी भी परिवर्तन या अद्यतन जानकारी के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देते हैं, जैसा कि लागू दिशानिर्देशों के अधीन आज्ञापक है।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि ग्लोबल नेटवर्क का प्रस्तावित नाम पृथक् है और कंपनी अधिनियम, 2013, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित किसी भी अन्य शासी कानून के लागू प्रावधानों के अनुपालन में है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यह नाम विहित दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई के अनुमोदन के अधीन है, और आईसीएआई किसी भी अवांछित नाम को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं/हम एतद्वारा वचन देते हैं कि यह घोषणा/वचनबंध स्वेच्छा से, सद्भाव में और पूरी जिम्मेदारी के साथ निष्पादित किया जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि आईसीएआई अपने विवेक पर इस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्थान: _____

तारीख: _____

ग्लोबल नेटवर्क के लिए और उसकी ओर से
नोडल अधिकारी/ अधिकारियों सह संपर्क व्यक्ति /

नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

निर्देश: प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: -

- क) पार्टनरों द्वारा आईसीएआई को फाइल किए जाने वाले प्राधिकार की एक प्रति, नेटवर्क के कांस्ट्रिक्ट्स बनने वाली घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करना।
- ख) टीआरसी/टीआईएन/एलईआई में परिवर्तन के प्रमाण की एक प्रति
- ग) उपर्युक्त प्राधिकार के संबंध में क्रम सं. 5 पर केएमपी की पुष्टि।
- घ) ग्लोबल नेटवर्क में जारी घरेलू एंटीटी की ओर से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सहमति, ग्लोबल नेटवर्क के प्रस्तावित अद्यतन/नए नाम के लिए उनके करार की पुष्टि करती है।
- ङ) विदेशी एंटीटी के साथ किए गए संशोधित नेटवर्क करार की प्रमाणित या एपोस्टिल प्रति, जिसमें कोई भी पूरक करार शामिल है, यदि लागू हो।
- च) शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

प्ररूप डीजीएन सं. _____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
नेटवर्क के लिए फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं/फर्मों और विदेशी एंटीटीओं के बीच आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के प्रासंगिक नियम देखें]

1. ग्लोबल नेटवर्क का नाम: जैसा कि आईसीएआई द्वारा अनुमोदित है।

2. ग्लोबल नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण संख्या:

3. विदेशी एंटीटी के कारोबार के प्रधान स्थान का पता।

	ज़िप/पिन	
----------------------	----------	----------------------

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

4. ग्लोबल नेटवर्क के गठन और नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण की तिथि संख्या:

5. घरेलू एंटीटी/आईसीएआई-रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क के कारोबार के प्रधान स्थान का पता।

	ज़िप/पिन	
----------------------	----------	----------------------

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

6. घरेलू एंटीटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट (पार्टनर और कर्मचारी) की कुल संख्या बताएं, जो कि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन विद्यमान हैं।

पार्टनरों की संख्या:

कर्मचारियों की संख्या:

7. I. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं)/आईसीएआई द्वारा रजिस्ट्रीकृत नेटवर्क के किसी भी पार्टनर के विरुद्ध आपराधिक या अनुशासनिक मामलों या कार्यवाहियों की कुल संख्या।

II. बिंदु I के अनुसार मामलों का विवरण उदाहरणार्थ - लंबित आपराधिक या अनुशासनिक।

निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें: -

क. प्रकृति ☐ आपराधिक ☐ अनुशासनिक

ख. वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है

(i) पार्टनर का नाम

(ii) उस विनियामक/अभिकरण का नाम जिसने अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की है।

(iii) कार्यवाही शुरू करने की तारीख

(iv) इस आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख को मामले की प्रास्थिति।

8. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए घरेलू एंटीटी का कुल राजस्व (एंटीटी-वार):

क्र. सं.	एंटीटी/ एंटीटीओं का नाम	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या।	कुल राजस्व (रुपए में)
i)			
ii)			

9. पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी एंटीटी/ग्लोबल नेटवर्क से एफिलिएशन प्रदान करने या एफिलिएशन प्राप्त करने वाली घरेलू एंटीटी द्वारा भुगतान किए गए कुल शुल्क/राजस्व और व्यय।

	भुगतान किया	प्राप्त हुआ
i) कानूनी संपरीक्षा सेवाएं		
ii) कर संपरीक्षा और अन्य कराधान सेवाएं		
iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवाएं		
iv) गैर-लेखा परीक्षा सेवाएं		
v) आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय		
vi) प्रौद्योगिकी		
vii) जनशक्ति आउटसोर्सिंग		
viii) प्रशिक्षण एवं विकास		
ix) अनुज्ञप्ति शुल्क		
x) अन्य (कृपया दर्शित करें)		

ग्लोबल नेटवर्क के प्रत्येक कांस्टिट्यूटेंट्स के संबंध में उपर्युक्त तालिका को भरा जाना है।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:

- यदि इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए किसी नई एंटीटी को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया जाता है, और इस तरह के शामिल होने के परिणामस्वरूप कोई अननुपालन होता है, तो घरेलू एंटीटी तुरंत उक्त ग्लोबल नेटवर्क का कांस्टिट्यूटेंट्स होने से खुद को अलग कर लेगी और प्ररूप "ईजीएन" फाइल करके आईसीएआई को सूचित करेगी।
- मैं/हम यह भी वचनबंध करते हैं कि यदि घरेलू एंटीटी उस तारीख से जिसको इस तरह के उल्लंघन के बारे में पता चलता है या प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथोचित रूप से ज्ञात होना चाहिए, 30 दिनों के बाद भी ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का कांस्टिट्यूटेंट्स बनी रहती है, तो इस तरह की निरंतरता को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 की मद (1) के अधीन "प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट" माना जाएगा।
- मैं/हम समझते हैं कि इस तरह के कदाचार की स्थिति में ऐसी घरेलू एंटीटी और नोडल अधिकारी के खिलाफ आईसीएआई द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि प्रदान की गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान :

तिथि :

ग्लोबल नेटवर्क नोडल के लिए और उसकी ओर से

अधिकारी/ अधिकारियों सह संपर्क व्यक्ति

नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

प्ररूप 'ईजीएन' सं. _____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**ग्लोबल नेटवर्क का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन**

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं/फर्मों और विदेशी एंटीटीओं के बीच आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के प्रासंगिक नियम देखें]

1. ग्लोबल नेटवर्क का नाम: जैसा कि आईसीएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है

2. ग्लोबल नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण संख्या:

3. रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का कारण:

4. विदेशी एंटीटी के कारोबार के प्रधान स्थान का पता।

ज़िप/पिन

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

5. घरेलू एंटीटी के कारोबार के प्रधान स्थान का पता।

ज़िप/पिन

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

6. ग्लोबल नेटवर्क का गठन करने वाली भारत में घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के नाम और पते

क्र.सं.	घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) के नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या।/ यूनिफ नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर /रजिस्ट्रीकरण संख्या।
i)		
ii)		
iii)		

7. ग्लोबल नेटवर्क से रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के इच्छुक घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) का नाम और पता:

क्र.सं.	घरेलू एंटीटी के नाम और पते	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या/ यूनिफ नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर /रजिस्ट्रीकरण संख्या।
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

8. ग्लोबल नेटवर्क की ओर से पदाभिहित नोडल अधिकारी का पता:

नाम:

ईमेल:

मोबाइल नं.

पता

ज़िप कोड

आईसीएआई

सदस्यता संख्या:

गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र
जारी करने की तिथि

गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र की

वैधता
(तिथि/अवधि का कथन
करें)
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

--

9. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि सभी घरेलू एंटीटीओं या फर्म आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान में रजिस्ट्रीकृत फर्मों के बीच ग्लोबल नेटवर्क, विदेशी फर्मों/एंटीटीओं से डी-रजिस्टर करने का प्रस्ताव करती हैं।

मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं और अभिपुष्टि करते हैं कि इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनर/नोडल अधिकारी को ग्लोबल नेटवर्क के अन्य सभी कांस्टिट्यूटेंटों द्वारा उनकी ओर से यह घोषणा प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है।

मैं/हम स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि:

ग्लोबल नेटवर्क या इसकी घरेलू एंटीटीओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही, विवाद या नियामक कार्रवाई लंबित नहीं है जो रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को बाधित या प्रभावित कर सकती है।

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रक्रिया किसी भी कांस्टिट्यूटेंट्स घरेलू एंटीटी या नोडल अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान किए गए किसी भी कार्य, ओमिटेड या कदाचार के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और आईसीएआई इसके संबंध में पूर्ण अधिकारिता को बनाए रखेगा।

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने पर, सभी कांस्टिट्यूटेंट्स घरेलू एंटीटीओं रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि से किसी भी प्रकार के वृत्तिक संचार, लेखन सामग्री या विपणन सामग्री में ग्लोबल नेटवर्क के नाम का उपयोग करना बंद कर देंगी।

तदनुसार, हम अनुरोध करते हैं कि ग्लोबल नेटवर्क रजिस्ट्रीकरण सं. संस्थान के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।

स्थान :

--

तिथि :

ग्लोबल नेटवर्क नोडल अधिकारी/ अधिकारियों सह

संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) के

लिए और उनकी ओर से

नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

अस्वीकरण: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) दिशानिर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर ग्लोबल नेटवर्क के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, या यदि रजिस्ट्रीकरण दुर्व्यपदेशन, लागू प्रावधानों के उल्लंघन से प्राप्त किया गया था, या यदि उसे जारी रखना वृत्ति या जनता के हितों के लिए हानिकारक है। *तथापि, नोडल अधिकारी और संबंधित कांस्टिट्यूटेंट्स एंटीटीओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

निर्देश: प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: -

- क) नेटवर्क के कांस्टिट्यूटेंट्स बनने वाली घरेलू एंटीटी (एंटीटीओं) की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले पार्टनरों द्वारा आईसीएआई को फाइल किए जाने वाले प्राधिकार की एक प्रति।

प्ररूप 'एफजीएन' सं. ____

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

[आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत घरेलू एंटीटीओं और विदेशी एंटीटीओं के बीच आईसीएआई (ग्लोबल नेटवर्किंग) दिशानिर्देश, 2025 का प्रासंगिक नियम देखें]

1. प्ररूप 'एजीएन' आवेदन संख्या।

2. प्रस्तावित ग्लोबल नेटवर्क का विवरण।

(i) ग्लोबल नेटवर्क का प्रस्तावित नाम:

(ii) ग्लोबल नेटवर्क की तारीख और अनुमोदन संख्या

(यदि अनुमोदित हो)

3. वापसी का कारण:

स्थान: _____

तारीख: _____

ग्लोबल नेटवर्क के लिए और उसकी ओर से
नोडल अधिकारी/ अधिकारियों सह संपर्क व्यक्ति

नाम.....

सदस्यता संख्या.....

सम्पर्क करने का विवरण.....

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./676/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2026

(Chartered Accountants)

No. 3- CACAF/GN-F/2026.—The Council of the Institute of Chartered Accountants of India, in exercise of the power conferred by clause (fa) of sub-section (2) of section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 makes the following Guidelines:-

ICAI (GLOBAL NETWORKING) GUIDELINES, 2025

Whereas it is expedient to create an enabling framework in India to develop professional networks for the chartered accountancy profession;

And to augment and strengthen the professional avenues in the emerging trade order; domestically and internationally for Domestic entities registered with ICAI; by enabling a level playing field to foster culture of innovation and competition;

And to make provision for ICAI's Domestic Entities to collaborate with Global Networks domestically and internationally;

And to bring the working of Global Networks of Chartered accountants (or equivalent in respective jurisdictions) under the regulatory jurisdiction of ICAI in so far as their Indian operations are concerned;

And to further strengthen the quality of professional services in accordance with the best global practices;

And to further enhance and synergise the capacity of domestic Chartered Accountants firms registered with ICAI by enabling exposure to best global practices through provision of latent and emerging knowledge and technology sharing including tools and processes;

And to further enhance the capacities and capabilities of the profession.

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short Title, Extent & Commencement

- (i) These guidelines may be called “ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025”.
- (ii) These Guidelines are meant to promote Networking amongst one or more Chartered Accountant firm (s), Networks and other entities registered with ICAI with networks or entities established and registered outside India in their respective jurisdiction; and shall also apply to Networks registered with ICAI granting affiliation to overseas entity(ies).
- (iii) These Guidelines shall come into force from the date of its publication in the gazette of India.

2. Definitions and Interpretations

I. In these Guidelines, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means The Chartered Accountants Act, 1949 (No. 38 of 1949) as amended from time to time.
- (b) “Chartered Accountant” means a person who is a member of the ICAI.
- (c) “Code of Ethics” means the Code of Ethics issued by the Council of The Institute of Chartered Accountants of India.
- (d) The expression “Constituent”, Constituent Firm(s), Member Firm(s) shall mean and include Constituent(s), member(s), Constituent Firm(s), Member Firm(s) of the Network by whatever name called including any Domestic or Overseas Entity as defined under these Guidelines.
- (e) “Council” means the Council of the ICAI constituted under section 9 of the Act.
- (f) “Domestic Entity” means-
 - i) a ‘Firm’ as defined in section 2(1)(ca) of the Act or;
 - ii) a ‘Management Consultancy Services’ an entity formed under ‘Guidelines for Practice in Corporate Form of Practice’ registered with ICAI or;
 - iii) a Network established under ‘Guidelines for Networking of Indian CA Firms, 2021’ registered with ICAI, having written agreements for networking or collaboration or such other entity as may be permitted by the Council under the said Guidelines.
- (g) “Good Standing” in relation to a member shall mean where no arrears of membership fees/COP fee is payable to the ICAI and such member complies with the CPE hours and no disciplinary proceeding is pending against him before Disciplinary Committee, Board of Discipline (BOD) or Appellate Authority constituted under the Act.
- (h) “ICAI” means the Institute of Chartered Accountants of India set up by the Chartered Accountants Act, 1949.
- (i) “Nodal Officer cum contact person” means a member holding full time Certificate of Practice of ICAI and part of Domestic Entity domiciled in India; who shall be responsible for ensuring necessary compliances under these Guidelines.
- (j) “Overseas Entity” for the purpose of these guidelines shall mean an Entity which is incorporated, registered and operating from outside India, for provision, accreditation, affiliation, association, arrangement, alliance, networking collaboration, cooperation or rendering or facilitation of professional services namely accounting, assurance, or like services rendered outside India (including services permitted under Section 2(2)(iv) of the Act, and the Regulations).

Explanation: For the purpose of these Guidelines, an Overseas Entity means any entity recognized by law including partnership firm, limited liability partnership (LLP), federation, association, non-profit organization (NPO), non-governmental organization (NGO), among others, registered under the applicable laws of the respective jurisdiction outside India, rendering or facilitating any services mentioned herein.

- (k) “Global Network” means a Network or arrangement by whatever name called between Domestic Entity and an Overseas Entity, registered under these guidelines. For the purpose of these guidelines, “Network” means “Global Network” as explained herein.

Explanation: For the purpose of these Guidelines, Network is an arrangement, alliance, or association, drawn in writing, (irrespective of its nomenclature) formed with the objective as mentioned in 2(I)(j) above where –

- (a) it is aimed at cost sharing among the constituents within the structure; or
- (b) the constituents within the structure share common quality control policies and procedures, which are designed, implemented and monitored across the Network; or
- (c) the constituents within the Network share a common operational strategy; or
- (d) the constituents within the Network share a common brand name, common initials or a common name, logo or insignia; or
- (e) the constituents within the Network share the use of common website or common domain name, common email or any form of common communication (other than name available to public at large either free or on subscription basis); or
- (f) the constituents within the Network share any part of professional resources including but not limited to common systems, partners and staff, common technical resources, audit methodology or audit manuals, training courses, facilities or any resources; or
- (g) any other circumstances wherein the conduct or actions of the constituents convey that they are associated in such a way that constitutes a network, as may be determined by the ICAI.

For the purpose of these guidelines, sharing or usage of coworking space which are available on fees are on sharing basis for public at large will not be covered in above.

- (l) “Partner” shall have the same meaning assigned to it in section 4 of the Indian Partnership Act³ or in clause (q) of sub-section (1) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008⁴, as the case may be.
- (m) “Partnership” means ‘partnership’ as defined in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932; or a limited liability Partnership but does not include a partnership firm or Limited liability Partnership which has a company as a partner as provided under Section 25 of the Act.
- (n) “Permitted Framework of arrangements” means arrangement or framework as permitted under these guidelines.
- (o) “Regulations” means The Chartered Accountants Regulations, 1988 as amended from time to time.

II. Words and expressions used but not defined or specified/explained in these Guidelines and defined in the Act or the Regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Regulations or the connotations they carry in the other specified enactments, regulations, guidelines, notifications framed under such specified enactments.

¹ No. 9 of 1932.

² No. 6 of 2009

CHAPTER II

REGISTRATION OF GLOBAL NETWORK

3. Rendering Professional Services:

Domestic Entity (ies), being constituents of the Global Network and Domestic Networks granting affiliation to Overseas Entities, may render services in/or outside India as permitted under the “Act” in accordance with these Guidelines.

4. Application for approval of Name of Global Network

- (x) An application in Form ‘AGN’ shall be accompanied with such documents as specified in Form ‘AGN’ thereto, for the approval of the Name of Global Network along with the fee of INR 10,000/- plus applicable taxes shall be filed by the Domestic Entity (ies) through the Nodal Officer of the Global Network in **Form ‘AGN’**.
- (xi) The Global Network shall have a distinct name as may be approved by the ICAI. For the names of the network **Appendix I** may be referred to.
- (xii) The ICAI may reject any name which it considers as undesirable having regard to the provisions of the Chartered Accountants Act 1949, Chartered Accountants Regulations, 1988, The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950, Companies Act, 2013, Trademarks Act, 1999 or any other law for the time being in force. Further, if any breach, conflict or violation of the aforesaid provisions is identified by ICAI or brought to its notice, including by way of a complaint, the proposed name may be rejected on such grounds. However, an opportunity of hearing shall be granted by ICAI to the applicant before rejecting the name as undesirable.
- (xiii) ICAI shall ensure that the name of any Overseas Entity or Network granting affiliation to a Domestic Entity, or Overseas Entity seeking affiliation from a Domestic Network, does not resemble with any existing Domestic Entity or Domestic Network registered with ICAI. In cases where the proposed name is found to be the same or nearly resembling an existing registered name, ICAI shall advise the applicant to submit alternate name. The applicant may re-apply within 30 days with alternate options, which shall be considered by ICAI. ICAI may either approve or reject such application after recording reasons for rejection within 60 days. The decision of ICAI on the re-application shall be final.
- (xiv) The Global Network shall use the suffix, “Global Network” after its name (as may be approved by ICAI).
- (xv) The intimation on approval or rejection of the name of the Global Network shall be given by ICAI to the Nodal Officer at his/her address mentioned in **Form ‘AGN’** within a period which shall not ordinarily be later than 60 days from the date of receipt of the said Form.
- (xvi) Upon approval of the name of the Network, ICAI shall reserve such name upto a period of 180 days from the date of approval.
- (xvii) Approval of name of Global Network by ICAI would not amount to its registration with ICAI. The Network shall apply to ICAI by fulfilling the requirements and following the process under these Guidelines, failing which the name assigned shall stand automatically cancelled on the expiry of the said period.
- (xviii) Existing Firms which are a constituent or a member of any Global Network (whether such Global Network/ affiliation declared or not as per **Form D** under the 2011 Guidelines) will also be required to make an application in Form ‘AGN’ within 180 days from the commencement of these guidelines.

Provided that, in case of delay beyond the stipulated period, ICAI may, at its discretion, allow condonation of such delay on payment of a requisite fee, as may be decided by the Council from time to time, or reject the condonation after giving the applicant an opportunity of being heard.

- (x) The ICAI may, at any point of time, withdraw the approval of the name, if considered necessary in the interest of public or profession. In such case, ICAI shall record, assign and furnish the reasons for such

withdrawal and shall issue an intimation thereof to the Nodal Officer. However, a reasonable opportunity of being heard shall be granted by ICAI to the applicant before such withdrawal.

- (xi) The applicant may, at any point of time, voluntarily withdraw the application filed in Form 'AGN', along with assigning the reasons for such withdrawal in Form 'FGN', before filing form 'BGN' for registration. The intimation of such acceptance shall be made by ICAI to the Nodal Officer at his/her address mentioned in Form 'AGN' within a period which shall not ordinarily be later than 60 days from the date of receipt of the said Form.

5. Registration of Global Network

- (i) All Network arrangements between Domestic Entity and Global Network/Overseas Entity(ies) are mandatorily required to be registered with ICAI under these Guidelines.
- (ii) All arrangements entered between Domestic Entity (ies) and one or more Overseas Entities / Global Network shall be required to be registered with the ICAI in accordance with these Guidelines.
- (iii) The Nodal Officer, shall take necessary steps for registration of Global Network with the ICAI by applying in **Form 'BGN'** along with the fee of INR 30,000/- plus applicable taxes or as may be decided by the Council from time to time which shall not ordinarily be later than 90 days from the date of approval of name of the Global Network by the ICAI.
- (iv) The ICAI may require such other additional documents of the domestic entity as it may deem necessary, and the Nodal Officer shall be required to submit such additional documents if so requisitioned by ICAI within a period of 60 days on behalf of the Global Network.
- (v) If the application meets the eligibility criteria as specified in clause 1(ii), 2(I)(l) and 4 of these Guidelines, ICAI may approve the application for registration of the Global Network which shall not ordinarily be later than 60 days from the date of receipt of the said form and shall allot Unique Registration Number to the Global Network and intimate the same to the Nodal Officer.
- (vi) If the application does not meet the eligibility criteria under these Guidelines, ICAI shall reject the application after recording reasons therefor and inform the Nodal Officer which shall not ordinarily be later than 60 days from the date of receipt of such information. An opportunity of hearing shall be granted by ICAI to the applicant before rejecting the application. However, they can reapply for registration after complying with all the requirements within a period of 30 days from the date of rejection of Form 'BGN' . The ICAI may consider the said application again and approve or reject such application after recording reasons thereof ordinarily not later than 60 days. The decision of ICAI on the re-application shall be final and binding.
- (vii) Domestic Entity(ies) registered with ICAI are permitted to become a member of more than one Global Network and vice-versa.
- (viii) For formation of the said Network, fee for approval of name, registration, and change in constitution of Global Network/change of Nodal Officer shall be payable in INR as given in the guidelines or as may be decided by the Council from time to time.
- (ix) Upon approval of such Network, the provisions to the Act, Regulations and these guidelines shall become applicable to all Domestic Entity (ies) of the network and their operations in India.

6. Nodal Officer cum Contact Person

- (i) At the time of application for name approval in Form 'AGN' , the Domestic Entity/(ies) forming part of the Global Network shall designate a member of the Institute domiciled in India, as Nodal Officer cum contact person who shall be responsible; for requisite compliances under these Guidelines by the Constituents.
- (ii) The Nodal Officer cum contact person of the Global Network shall be—

- (a) a Member of the ICAI in good standing as defined under these guidelines who shall continue to remain as such; and
- (b) either Managing Partner or Joint Managing Partner or Designated Partner of CA Firm or any of the firm of Domestic Network or “CEO” or “Managing Director” or “Whole-time Managing Director” or a “Director” of a Management Consultancy Company and he/she should be the Partner or “CEO” or “Managing Director” or “Whole-time Managing Director” or a “Director” with highest share in the partnership in terms of profit sharing and/ or highest contribution in capital during the preceding year;
- (iii) The Nodal Officer may be from any of the Domestic Entities registered with ICAI.
- (iv) Each Domestic Entity obtaining affiliation from Overseas Entity shall designate one Nodal Officer satisfying the eligibility criteria under these Guidelines. Where multiple Domestic Entities, which are not part of a Domestic Network, seek accreditation, affiliation or rendering or facilitation with the same Global Network, by way of a single application then each such Domestic Entity shall, designate a Nodal Officer respectively satisfying the eligibility criteria under these Guidelines.
- (v) In the case of a Domestic Network, taking affiliation from a Global Network or granting affiliation to a Overseas Entity then, a Nodal Officer shall be designated to represent all the Domestic Entities forming part of Domestic Network satisfying the eligibility criteria under these Guidelines.
- (vi) As Nodal Officer under these Guidelines, a one-time password (OTP) shall be sent to the registered/notified mobile number or to the registered e-mail, at the time of registration, as well as to effect changes in constitution of Network post registration. Where more than one Nodal Officers are designated, the OTP shall be sent to all the Nodal Officers. The OTP confirmation/authentication received from the Nodal Officer(s) shall be treated as substantive proof for registering the Global Network and for effecting the changes i.e. additions and deletions made in the composition of the Global Network.
- (vii) The Nodal Officer shall be responsible for all the compliance of policies, procedures, maintenance of records and the implementation of the requirements as specified under these Guidelines and other applicable laws at all times.
- (viii) In case the Nodal Officer of the Domestic Entity (ies) of the Network fails to declare any of its other partners as member answerable for the alleged violations, then the Nodal officer shall be deemed to be ‘member answerable’ for such violation and disciplinary proceedings under the Act and Rules made thereunder shall be initiated against the Nodal Officer.

Explanation: For the purpose of these Guidelines; member of the “ICAI” includes a person who was a member of the Institute on the date of the alleged contravention of the provisions of these Guidelines and of the Act although he has ceased to be a member of the Institute at the time of the inquiry.

- (ix) After registration of the Global Network, the Nodal Officer shall be responsible for compliances under these Guidelines and shall intimate the relevant requirements of the Act, Regulations, Code of Ethics and various guidelines to all of constituents of the registered Global Network.

7. Post-Registration Changes in composition of Global Network

- (i) Post-registration of the Global Network, the Nodal Officer shall inform ICAI of any amendments relating to change in address of the principal place of business of Overseas Entity, change in address of the principal place of business of Domestic Entity/(ies), change in name and address of the domestic entity(ies) in India that are entering or exiting into/from the Global Network, change in details of Key Managerial Personnel (KMPs) of Domestic Entity (ies) in India, change in the name and address of the designated Nodal Officer of the Global Network and amendments to the Network agreement/supplementary agreement entered into between the Domestic entity(ies) and Overseas

entity(ies) for and on behalf of the Global Network, change in name of the overseas entity, by filing the requisite **Form 'CGN'** within a period of 90 days from the date of such change/ amendment along with the fee of INR 10,000/- plus applicable taxes.

- (ii) For every change as specified in 7(i) above, of Domestic Entity (ies) of Global Network in India, the ICAI shall generate and send a one-time password (OTP) to the Nodal Officer. However, in case of entry or exit of domestic Entities in the Network, the OTP confirmations shall be sent to both the Nodal Officer and the respective domestic entity(ies) entering/exiting and upon validation of OTP, it shall be treated as substantive proof for effecting such additions or deletions in the constitution of the Global Network.
- (iii) In case of delay, the provisions relating to condonation of delay applicable in the case of firms in respect of Form 18 as per ICAI norms shall apply mutatis mutandis.
- (iv) Any change in the name of the Overseas Entity or its brand name, granting or taking affiliation; shall be mandatorily intimated to ICAI by the Nodal Officer.

Provided that, where more than 50% of the Domestic Entity(ies) forming part of the Global Network at the time of initial registration or thereafter, continue to remain the same, the Global Network may continue under the same registration number, subject to filing request with ICAI for updating its records, along with revised agreements and supporting documents, as may be required subject to approval of ICAI. For this purpose, the Nodal Officer shall inform the change and file Form 'CGN-1' along with the fee of INR 10,000/- plus applicable taxes within a period of 90 days seeking approval of the updated name; and all revised network agreements, supplementary agreements, declarations and supporting documents as required under these Guidelines.

- (v) ICAI shall examine the submissions and may approve or reject the proposed change in name of the Global Network after recording the reasons thereof which shall not ordinarily be later than 60 days from the date of receipt of respective form. However, an opportunity of hearing shall be granted by ICAI to the applicant before rejecting the name as undesirable. In cases of rejection of the proposed name, ICAI shall advise the applicant to submit alternate name options. The applicant may re-apply within 30 days with alternate options, which shall be considered by ICAI and ICAI may accept or reject such change. However, any rejection of change as required in this clause shall be followed by an opportunity of being heard. The decision of ICAI on the re-application shall be final and binding.

CHAPTER III

PERMITTED FRAMEWORK & PROHIBITED SERVICES, CONSEQUENCES OF REGISTRATION, ANNUAL REPORTING, ETHICAL COMPLIANCES, LIMITATION & DE-REGISTRATION

8. Permitted Framework of arrangements amongst constituents of the Global network

- (i) Domestic Entity registered with ICAI is permitted to create Global Networks or seek affiliations/arrangements inter-alia with Overseas entity / (ies) and **Domestic Networks** granting affiliation to Overseas Entities or vice-versa for Global Networking.
- (ii) The Global Networking inter alia includes the following features:
 - (a) access to tools and technology to derive synergies of shared resources and ability to deploy (without building) digital platforms on payment as per usage for their work or other terms as may be agreed;
 - (b) reputational value associated with being part of such networks and member firms having international recognition which would result in better access to the clientele;
 - (c) gain confidence to service markets beyond local geographies either by themselves or by outsourcing work to members of the network;
 - (d) enable larger role in international Merger & Acquisitions, due diligence transactions;
 - (e) opportunity of the domestic constituents firm(s) to seek access /contribute to building tools, process and technology for the international network affiliates themselves;
 - (f) member firms are allowed to pay and/or receive such one-time and recurring fees at such intervals as may be mutually agreed to be part of the further network;
- (iii) The detailed framework of Global Network is as under:

The purpose of Network is to enhance capacity, improve quality of services, share common resources and compete effectively which will result in taking up bigger assignments, and thus improving the revenues. At the same time, it is imperative that ethical requirements are met in letter and spirit. These ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 seek to ensure the unlimited professional avenues for the Network and their constituents while ensuring Legal and Ethical Compliances and are developed based on the following principles:

1. To enhance their ability to provide professional services, Domestic Entity/ (ies) frequently form larger structures with other firms and entities. Whether these larger structures create a Network depends on the particular facts and circumstances and does not depend on whether the firms and entities are legally separate and distinct. For example, a larger structure may be aimed only at facilitating the referral of work, which in itself does not meet the criteria necessary to constitute a network. Alternatively, a larger structure might be such that it is aimed at co- operation and the Domestic Entity/(ies) share a common brand name, a common system of quality control, or significant professional resources and consequently is deemed to be a Network.
2. The determination as to whether an Association is a Network shall be made as a person of ordinary prudence is likely to conclude, under the given facts and circumstances, that the entities are associated in such a way so as to give the impression of the existence of a network. This determination shall be applied consistently and uniformly throughout the network.
3. Where an Association is aimed at co-operation and it is clearly aimed at cost-sharing among the entities within the structure, it is deemed to be a Network unless proved otherwise. In addition, if the sharing of costs is limited only to those costs related to the development of audit methodologies, manuals, or training courses, this in itself would be sufficient to treat it as a Network. However, the sharing of immaterial costs does not in itself create a Network.

4. Where an Association is aimed at cooperation by any means, whatsoever it is deemed to be a Network.
5. Where an Association is aimed at co-operation and the entities within the structure share common quality control policies and procedures, it is deemed to be a Network. For this purpose, common quality control policies and procedures are those designed, implemented and monitored across the Network.
6. Where an Association is aimed at co-operation and the entities within the structure share a common operational strategy, it is deemed to be a Network. Sharing a common operational strategy involves an agreement, whether in writing or otherwise by the entities to achieve common strategic objectives.
7. Where an Association is aimed at co-operation and the entities within the structure share the use of a common brand name, it is deemed to be a Network with common initials, or a common name, logo, or insignia. A firm is deemed to be using a common brand name if it includes, for example, the common brand name as part of, or along with, its firm name, when a partner of the firm signs an audit report, certificate or any other legal document.
8. Where an Association is aimed at co-operation and the entities within the structure share a significant part of professional resources, it is deemed to be a Network. Professional resources include:
 - Common systems that enable firms to exchange information such as client data, billing and time records;
 - Partners, employees and staff;
 - Technical expertise or know how that consult on technical or industry specific issues, transactions or events for assurance engagements;
 - Audit methodology or audit manuals; and
 - Training courses and facilities.
9. Sharing of professional resources is a significant factor to conclude that the firms are network firms. Where the shared resources are limited to common audit methodology or audit manuals, with no exchange of personnel or client or market information, shared resources would be significant. The same applies to a common training endeavour. Where, however, the shared resources involve the exchange of people or information, such as where staff are drawn from a shared pool, or a common technical department is created within the Network to provide participating firms with technical advice that the firms are required to follow, a reasonable and informed third party is more likely to conclude that the shared resources are significant.

9. Prohibited Services

- (i) The Nodal Officer shall ensure that all activities in relation to services rendered/ obtained by Domestic Entity (ies) in the Global Network are at arm's length basis and in strict compliance with Indian laws and regulations. In case, any activity is found to be in violation of Code of Ethics of ICAI, Chartered Accountants Act, 1949 and Chartered Accountants Regulations, 1988, ICAI shall reserve the right to initiate disciplinary proceedings in accordance with law. The Nodal Officer shall ensure that each of the Domestic Entity/(ies) maintain such documents as are necessary for ensuring that the activities are carried out at Arm's Length basis and as per the laws of the country. In view of the above, the following situations would fall under prohibited services, and the list is illustrative but not exhaustive.
 - (a) The Domestic Entities of the Global Network registered with the ICAI shall not be permitted to perform any prohibited services for their audit clients as specified under section 144 of the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force in India.

- (b) Any sharing of fees or profits with a non-member shall be subject to the ICAI Code of Ethics and as per the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, regulations and the related guidelines thereto.

10. Consequences of Registration

- (i) The Nodal Officer being the duly authorized representative(s) of the Domestic Entity/(ies) that are constituent of the Global Network, shall file the annual return of the Global Network with the ICAI in the requisite **Form 'DGN'** within 120 days of close of each financial year.
- (ii) In all professional stationery (printed or electronic media), the Domestic Entity as a part of the Global Network is entitled to mention the fact of it being a Member Firm of any Global Network registered with the ICAI. Firm can write "Member of *** (Name of Global Network)" or "Member Firm of *** (Name of Global Network)" in addition to its name on its professional stationery. Further, in case of multiple affiliations, the same shall be mentioned in the professional stationery (printed or electronic) accordingly.
- (iii) In order to determine whether any Domestic Entity is Constituent of any Overseas Entity or not, ICAI can seek information and documents as it may deem necessary and upon such request being made by the ICAI, the Domestic Entity shall be under an obligation to provide the information or documents sought within 30 days, or such extended time as may be permitted by the ICAI
- (iv) In case, any new entity in India is inducted as a constituent of Global Network, in contravention of requirements of these Guidelines, the Domestic Entity shall forthwith withdraw itself from continuing as a Constituent of such Global Network under intimation to ICAI by filing 'Form EGN' within 30 days from the date on which such contravention is known to it, or reasonably expected to have been known to it.
- (v) Any violation of the provisions of these Guidelines shall constitute 'professional misconduct' within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949. Without prejudice to the generality of the foregoing, the following actions or omissions shall, inter alia, be dealt with in accordance with the Act and 'The Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007' or as amended from time to time against such Domestic Entity as well its partners/Nodal Officer, as applicable
- (i) Any Member of the ICAI or Domestic entity becoming, claiming or mentioning, in any medium (printed or electronic), itself as a constituent of any Global Network which is not registered with the ICAI;
- (ii) Non-furnishing, non-disclosures of any information or document(s) sought by ICAI under these Guidelines or any other non-compliances as may be notified by the ICAI from time to time;
- (iii) Domestic Entity failing to file the requisite Form 'AGN' within the time stipulated or extended timelines under these Guidelines in respect of Form D filed earlier under Guidelines for Networking 2011 or not, if such network is in vogue at the time of notification of these guidelines;
- (iv) Induction of any new entity in India as a Constituent of the Global Network in contravention of these Guidelines, and failure to withdraw from such Global Network within 30 days of the contravention becoming known or reasonably expected to be known having regard to the prevailing circumstances;
- (v) Any violation of these Guidelines by any of the constituents of the Global Network in India, materially benefiting directly or indirectly as a Domestic Entity registered with ICAI, shall be deemed to be considered as a professional misconduct against the Nodal Officer of Global Network.

11. Annual Reporting

- (i) Annual reporting of compliances by the Nodal Officer is envisaged for review and ensuring adherence to these guidelines.

- (ii) The Nodal Officer shall file an annual return with ICAI the requisite Form 'DGN' within 120 days of the close of the financial year which shall include, inter alia, all the information sought thereat but not limited to capital structure, capital infusion if permitted, cost or revenue sharing, etc.
- (iii) The annual return in Form 'DGN' shall include address of the principal place of business of Overseas Entity, address of the principal place of business of Domestic Entity particulars related to the total number of Partners, Chartered Accountant Employees in the Domestic Entity, total number of criminal or disciplinary cases or proceedings against the Domestic Entity (ies) or any of its partners as on the last day of immediately preceding financial year and details of such cases, total revenue of Domestic Entity (entity-wise) for immediately preceding financial year, the total fees and expenses paid or received by the Domestic Entity from or to the Overseas Entity or Global Network granting or seeking affiliation for the last three financial years in INR.
- (iv) Such annual return shall be certified by the Nodal Officer along with a declaration as to its correctness and completeness.
- (v) Additionally, ICAI may call for any details (in relation to compliance with these guidelines) relating to any of the Domestic Entity(ies), being constituent of Global Network in order to reassure about compliance with law including its right to call for any additional document or information or further as it may deem appropriate during the continuance of Global Network from the Nodal Officer within 180 days of filing of annual returns. However, the limit of 180 days will not apply in respect of disciplinary proceedings.

12. Compliance with Code of Ethics of ICAI

- (i) Domestic entity(ies) of Global Network are expected to work more cohesively with each other as well as with other members or constituents of the Global Network. Domestic Entities of Global Network shall be required to comply with all applicable law of the land and Code of Ethics of ICAI from time to time in general and the following requirements in particular:
 - (a) In accordance with section 144 of the Companies Act, 2013, if one of the domestic entities of the Global Network is the statutory auditor of an Indian entity, then the other domestic entity/(ies) of the Network shall not, directly or indirectly, accept professional assignments which are prohibited for the statutory auditor;
 - (b) In those cases where rotation of firms is required under any law or by any regulatory authority, the Nodal Officer shall intimate the constituents the provisions as applicable in India;
 - (c) Firm is permitted to share profits with other Firms registered with ICAI. However, sharing of fees, profits or having partnership is not permitted between Firm(s) registered with ICAI and any constituent not registered with ICAI. Firms in Global Networks may share costs or revenue with other constituents, the details of which should be furnished to ICAI by the Network when called for. The cost/revenue sharing details should be specific and itemized;
 - (d) Ethical compliance will include all advisories and guidelines /directions issued by the Council of ICAI and/or forming part of the Code of Ethics as amended from time to time.
- (ii) Wherever the Code of Ethics is silent, the provisions of the IESBA Code of Conduct shall apply mutatis mutandis.

13. Calling for Information and Records

ICAI may call for any records, documents and information as may be necessary of the domestic entity/(ies) in respect of any alleged violation of these guidelines.

14. Limitation

- (i) The Domestic Entity, that do not have any network arrangement with any Overseas entity, but is registered under (i) the Guidelines for Alliance; or (ii) the Guidelines for Networking or (iii) the

Guidelines for Networking with Lead Firm Concept, issued by the Council of ICAI in March, 2021 as “Revised Guidelines for Networking of Indian CA firms, 2021”, will continue to operate as such.

- (ii) The Guidelines encourages adoption of international best practices, processes and tools, not repugnant to any law being in force in India by Domestic Entity(ies) by a process of mutual support and cooperation with Overseas Entities to enable enhancement and uniformity of service quality by such Domestic Entity(ies) and to be able to compete globally and to be recognized as Global Service Providers.
- (iii) Any rules or regulations applicable to the respective constituents of the Global Network will continue to apply. These Guidelines are not intended to override specific regulations applicable to such entities in their respective jurisdictions.

15. De-registration of Global Network

- (i) De-registration of a Global Network registered with ICAI may be sought by filing ‘Form EGN’ through its Nodal Officer, duly authorized by all Domestic Entity(ies), as may be stipulated.
- (ii) In the event any new entity is inducted as a Constituent of the Global Network in contravention of the requirements of these Guidelines, the concerned Domestic Entity shall forthwith withdraw itself from the Global Network and shall be required to file ‘Form EGN’ to seek de-registration of its association with such Global Network, within a period of 30 days from the date on which such contravention is known to it or ought reasonably to have been known having regard to the prevailing circumstances.
- (iii) The ICAI may approve or reject such de-registration shall not ordinarily be later than 60 days of receipt of ‘Form EGN’. Further ICAI may require such other additional documents of the domestic entity as it may deem necessary, and the Nodal Officer shall be required to submit such additional documents if so requisitioned by ICAI within a period of 30 days on behalf of the Global Network.
- (iv) ICAI may, **suo motu or on the basis of any information or complaint received**, initiate proceedings for de-registration of a Global Network, if it is satisfied that-
 - a) the registration was obtained by misrepresentation or suppression of material facts;
 - b) the Network has contravened any provision of these Guidelines or the Act, Regulations or Code of Ethics; or
 - c) the continuance of such registration is prejudicial to the interests of the profession or public interest.

Provided that no such action shall be taken without providing the Nodal Officer and concerned Domestic Entity (ies) a reasonable opportunity of being heard.

- (v) Upon satisfaction of compliance, ICAI shall approve the application, strike off the Global Network and its Registration Number, and inform the Nodal Officer shall not ordinarily be later than 60 days and de-registration shall take effect from the date of such approval.
- (vi) From such date, the domestic entity shall forthwith cease to use the name of the Global Network in any form of professional communication or stationery.
- (vii) De-registration shall not absolve the constituents or the Nodal Officer from liability for any acts, omissions, or misconduct committed during the period of registration, and ICAI shall retain full jurisdiction in respect thereof.

CHAPTER IV MISCELLANEOUS PROVISIONS

16. Mode of service of Notice

- Any process, notice, or other document required to be served on Global Network shall be deemed to be sufficiently served, if the same is addressed to Nodal Officer whose name(s) and address(es) have been furnished to ICAI and delivered at, or sent by post to the address in India or by electronic mode. It shall be the responsibility of the Nodal Officer to promptly communicate the same to all such constituents of the Network.
- 17. The collaborative arrangement/agreement entered into and the subsequent modifications thereto, if any, between the Domestic Entity(ies) and Overseas Entity of the Network as required under these guidelines, shall be shared with ICAI within 90 days. Such agreement/arrangement of the Global Network shall be in compliance of all applicable laws, rules and regulations and that of the ICAI from time to time.
- 18. The Domestic Constituent of each Global Network and the constituents, thereof, shall ensure that the working of Global Network shall comply with its obligation under relevant data protection laws at their own cost.
- 19. Constituents of Global Network shall carry out their own due diligence as to the professional standing, competence, technology, infrastructure, human as well as the physical resources, capabilities of the other parties. In the event of any disputes amongst the Constituents arising out of an issue or interpretation, the parties shall endeavor to resolve such disputes amicably and independently. Should such a resolution not be possible, disputes may be referred to arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended from time to time, or as per mutually agreed procedure, without any recourse to ICAI.
- 20. Operation of Global Network in India shall be subject to compliance of all the laws being in force in India
- 21. For effective implementation of controls, procedures and for compliance with laws and regulations, ICAI, may adopt the best practices followed across jurisdictions.
- 22. Global Network shall make disclosures as required by the ICAI from time to time and it shall be the responsibility of the Nodal Officer to ensure compliance.
- 23. Notwithstanding the coming into force of these Guidelines, any proceedings initiated for any misconduct committed under the Act prior to the commencement of these Guidelines shall not be deemed to be vitiated and shall not supersede such proceedings.
- 24. All information submitted by domestic entities pursuant to these Guidelines shall be deemed confidential and shall be used by ICAI solely for the purposes of implementing and administering these Guidelines and shall not be disclosed to any third party except as may be required under applicable law or with the prior consent of the concerned entity.
- 25. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Guidelines, the Council may, by general or special-order issue necessary clarifications by circulars as considered necessary or expedient; for the purpose of removing the difficulty.
- 26. Nothing contained in these Guidelines shall be construed as regulating or governing the functioning of entity (ies) including foreign accounting firms per se; other than the Entity (ies) registered or registrable with ICAI under these guidelines.
- 27. Power of the Council to issue clarifications - In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these guidelines, the Council shall have the power to issue clarifications which shall be binding on all concerned.

Appendix-I**Approval of Name of Global Network**

(Referred to in para 4 (ii) of the ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 and forms an integral part of the Guidelines)

Illustrative examples of names of Global Network*:

- (a) AB & Global Network
- (b) AB Global Network
- (c) A & Global Network
- (d) A (Member of B)

*where A denotes Domestic Entity registered with ICAI;

*B denotes an entity or Network existing abroad

- * Where there is more than one domestic constituent, then 'A' may consist of a combination of any one of them or all of them with the agreement amongst themselves or as specified in 'The Guidelines for Networking, 2021'
- * In cases where multiple Domestic Entities apply jointly in a single application for affiliation with an Overseas Entity/ Global Network without opting for any specific acronym or combined/individual name, the letter 'A' shall denote each such Domestic Entity individually. Accordingly, each Domestic Entity may mention its own name followed by the suffix "(Member of B)" on its professional stationery.

Form 'AGN' No. _____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**APPLICATION FOR APPROVAL OF NAME FOR GLOBAL NETWORK**

[See the relevant rule of ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between Domestic Entities registered with the ICAI and Overseas entities]

1. Proposed name of Global Network:

i) (in order of preference)	
ii)	
iii)	
iv)	

2A. Details of Domestic entity(ies) in India taking affiliation of the Global Network/Overseas Entity (if applicable).

S. No	Name and Addresses	Firm Registration No./Unique Network Registration No.
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

2B. Details of ICAI-registered Network granting affiliation to Overseas Entity/(ies) (if applicable)

S. No	Name of the ICAI-registered Network	Constituent Domestic Entities (Name & Address)	Unique Network Registration No./Registration No.
i)		i) ii) iii) iv)	

3. Details of the Global Network/Overseas Entity granting/seeking affiliation to/from the Domestic Entity(ies) (If applicable)

S.No.	Name(s) of the entity	Jurisdiction under which the Overseas entity is registered	Relevant Law under which Overseas entity is registered	TRC/ TIN/ LEI No. of Global Network (Attach Copy)
i				
ii				
iii				
iv				

4. Address of Principal place of business of Overseas Entity.

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

--

Mobile No:

--

5. Address of Principal place of business of Domestic Entity/(ies)

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

--

Mobile No:

--

6. Address of the Nodal officer on behalf of Proposed Network.

Name:

--

Email:

--

Mobile No:

--

Address

--

Zip Code:

--

ICAI Membership
No.:

--

Date of issue of Good Standing
Certificate

--

Please attach separate sheet/ insert additional rows to table hereto wherever required

Validity of Good
Standing Certificate up

--

till (state date/period)

(Attach the Certificate)

7. Details of Scrutiny fees of INR 10,000/- plus applicable taxes submitted along with the application. (attach proof)

8. Declaration:

I/We hereby affirm and declare that the information furnished in this application is true, complete and accurate to the best of my knowledge and belief. I/We further affirm that no material information has been omitted, misrepresented, or concealed in any manner.

I/We undertake to inform ICAI promptly of any changes, modifications or updates to the details submitted herein, within the stipulated timeframe, as mandated under the applicable guidelines.

I/ We further declare that the proposed name of the Global Network is distinct and is in compliance with the applicable provisions of the Chartered Accountants Act 1949, Chartered Accountants Regulations, 1988, The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950, Companies Act, 2013, Trademarks Act, 1999 or any other law for the time being in force. I/ We acknowledge that the name is subject to ICAI's approval as per the guidelines and ICAI reserves the right to reject any which it considers undesirable, or if any breach, conflict, or violation of the aforesaid provisions is identified or brought to its notice, including by way of a complaint.

I/We further acknowledge that ICAI shall ensure that the proposed name is not identical or so nearly resembling to any existing Domestic Entity or Domestic Network registered with ICAI. In case the proposed name is found to be the same as an existing registered name, ICAI may advise submission of alternate name options, and the applicant may re-apply within 30 days with such alternate options, which may be considered by ICAI. I/We also understand and agree that ICAI may, at any point of time, withdraw the approval of the name after it has been granted. The decision of ICAI on the application shall be final and binding.

This undertaking is executed with full authority, responsibility and in good faith.

Place: _____

Date: _____

For and on behalf of Global Network
Nodal Officer(s) cum contact person(s)
Name.....
Membership Number.....
Contact Details.....

Instructions: Document to be submitted: -

- a) A copy of the authorization to be filed with ICAI by the Partners signing the declaration on behalf of the Domestic Entity(ies)/ICAI-registered Networks forming constituent(s) of the Network.
- b) Copy of the Network agreement including the supplement agreement, if any, entered into with the Overseas entity (ies) with the domestic entity(ies).
- c) A Copy of the TRC/TIN/LEI proof.
- d) Proof of payment of fees.

Form 'BGN' No. _____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**APPLICATION FOR REGISTRATION OF GLOBAL NETWORK**

[See relevant Rule of Guidelines for Registration of Global Network between the Domestic Entities registered with ICAI and Overseas entities]

1. Name of the Global Network: As approved by ICAI

2. Address of the Principal place of business of Overseas Entity.

 Zip/Pin

Email:

Mobile No:

3. Names and addresses of Domestic Entity(ies) in India taking affiliation of the Global Network:

S. No	Name and Addresses of Domestic Entity(ies)	Firm Registration No. /Unique Network Registration No./ Registration No.
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

- 3A. Details of the ICAI-registered Network granting affiliation to the Overseas Entity(ies) (if applicable)

S. No	Name of the ICAI-registered Network	Constituent Domestic Entities (Name & Address)	Unique Network Registration No.
i)		i) ii) iii) iv)	

4. Details of Key Managerial personnel (KMPs)/Managing Partner of Domestic Entity (ies) in India.

S. No	MRNs	Name of KMP	PAN	Mobile No with Country Code	Address for Communication with Zip code	Email Id
i)						
ii)						

5. Address of Principal place of business of Domestic Entity.

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

Mobile No:

6. Date and approval number of Global Network name given by ICAI:

--

7. Date of formation of Global Network:

--

8. Address of the Designated Nodal officer behalf of Proposed Network.

Name:

Email:

Address

Zip Code

Mobile No.

ICAI Membership No.:

- 8 A. Provide the total numbers of Chartered Accountants (Partners and Employee) in the Domestic Entity) as on the last day of immediately preceding financial year.

No. of Partners:

--

No. of Employee :

--

- 8B I. Total number of criminal or disciplinary cases or proceedings against any partner or of the Domestic Entity(ies)/ICAI-registered Networks in the as on the last day of immediately preceding financial year.

II. Details of cases e.g., criminal or disciplinary pending as per point I.

Provide the following details:

a) Nature o Criminal o Disciplinary

b) Person against whom proceedings have taken place:

i. Name of the Partner

ii. Name of the regulator/agency that has initiated the disciplinary action.

iii. The date of initiation of the proceedings

iv. Status of the matter on the date of making this application.

9. Details of the Network agreement (s) along with supplement agreements (attach the support documents) entered into between the domestic entity/ICAI- registered Network and Global Network/ entity(ies). All the Documents being submitted must be attested as per applicable authority.

S.no	Date of Agreement	Duration of Agreement	Name of the Parties	Country/ies	Attach the Supporting Documents
i)					
ii)					

10. Select the clauses being agreed upon between the Domestic Entity(ies) and the Overseas entity/Global Network to form a Network (Multiple Options can be selected. Attach proof)

- a) It is aimed at cost sharing among the constituents within the structure.
- b) The constituents within the structure share common quality control policies and procedures, which are designed, implemented, and monitored across the Network.
- c) The constituents within the Network share a common operational strategy.
- d) The constituents within the Network share a common brand name, common initials, or a common name, logo, or insignia.
- e) The constituents within the Network share the use of a common website or common domain name, common email or any form of common communication (other than name available to the public at large either free or on a subscription basis)
- f) The constituents within the Network share any part of professional resources, including but not limited to common systems, partners and staff, common technical resources, audit methodology or audit manuals, training courses, facilities or any resources.
- g) Any other circumstances wherein the conduct or actions of the constituents convey that they are associated in such a way that constitutes a network.
- h) For the purpose of these Guidelines, sharing or usage of coworking space which are available on fees are on sharing basis for public at large will not be covered in above.

- i) All of the above
11. We undertake to comply with the guidelines/ directions laid down by the Council regarding the Global Networking from time to time.
12. Declaration
- i. I/We hereby confirm that all the details submitted by us earlier in “Form AGN” may be treated as part and parcel of this form and there is no change from the details furnished in Form AGN.
 - ii. I/We hereby confirm that all the Network firms/ entities have entered into an understanding to work as a network in accordance with the ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between the Domestic Entity(ies) registered with the ICAI and Overseas Entities and further affirm and confirm that the partner/Nodal Officer (s) signing the application has been duly authorized by the other partners of the respective Constituent(s).
 - iii. I/We hereby affirm and declare that the information furnished in this application is true, complete and accurate to the best of my knowledge and belief. I/We further affirm that no material information has been omitted, misrepresented, or concealed in any manner.
 - iv. I/We undertake to inform the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) promptly of any changes or updates to the details submitted herein, within the stipulated timeframe, as mandated under the applicable guidelines.
 - v. This undertaking is executed with full authority, responsibility and in good faith.

Place:

Date:

For and on behalf of Global Network
Nodal Officer(s) cum contact person(s)

Name.....

Membership Number.....

Contact Details.....

Instructions: Document to be submitted: -

- a) A copy of the authorization to be filed with ICAI by the partners, signing the declaration on behalf of the Domestic entity(ies) forming constituent of the Network.
- b) Certified or Apostille Copy of the Network agreement entered into with the Overseas entity.
- c) Confirmation of KMPs at S.no 3 in respect of aforesaid authorization
- d) Fee Payment proof.

Form 'CGN' No. _____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**DECLARATION FOR CHANGE IN CONSTITUTION OF REGISTERED GLOBAL NETWORK**

[See relevant Rule of ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between the Domestic entities/ firms registered with ICAI and Overseas entities]

1. Name of the Global Network: As approved by ICAI

--

2. Global Network Registration Number:

--

3. Address of the Principal place of business of Overseas Entity (in case of any change, provide the updated address)

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

--

Mobile No:

--

4. Address of the Principal place of business of Domestic Entity (in case of any change, provide the updated address).

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

--

Mobile No:

--

Please attach separate sheet/ insert additional rows to table hereto wherever required

5. Name and address of the Domestic Entity (ies) in India willing to enter/ exit into/ from the Global Network:

S. No.	Name and Addresses of Domestic Entity(ies)	Firm Registration No./Unique Registration No.	Network
i)			
ii)			
iii)			
iv)			

6. Details of Key Managerial personnel (KMPs)/Managing Partner of Domestic Entity (ies) in India.

S. No	MRNs	Name of KMP	Permanent Account Number (PAN)	Mobile No. with Country Code	Address for Communication with Zip code	Email Id
i)						
ii)						

7. Address of the Previous Designated Nodal officer on behalf of Global Network:

Name:	
Email:	
Address	
Zip Code	
Mobile No.	
ICAI Membership No.:	

8. Address of the New Designated Nodal officer on behalf of Global Network, if any:

Name:	
Email:	
Mobile No.	
Address	
Zip Code	
ICAI Membership No.:	

Date of issue of Good Standing Certificate
Validity of Good Standing Certificate up till
(state date/period)

--

(Attach the Certificate)

9. Changes in Network Agreement(s)/Supplement Agreement(s)

In case of any change in the Network Agreement(s)/supplement agreements, provide details of such changes, including the nature of amendment, date of effect, parties involved, and attach the relevant supporting documents.

S. No	Date of Change	Nature of Amendment	Name of the Parties	Country/ies	Attach the Supporting Documents
i)					
ii)					

10. We hereby confirm that except the above, no other change in any of the details submitted earlier in 'Form AGN'.

11. I/We hereby declare that the above Domestic Entity(ies) propose to enter/ exit into/ from the Global Network in accordance with the ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between the Domestic Entity (ies) registered with the Institute of Chartered Accountants of India and Overseas entity and further affirm and confirm that the partner/Nodal Officer signing the application has been duly authorized by the other Domestic Entity(ies) of Global Network.

Place :

Date :

For and on behalf of Global Network Nodal Officer/(s) cum contact person/(s)

Name.....

Membership Number.....

Contact Details.....

Instructions: Document to be submitted: -

- A copy of the authorization to be filed with ICAI by the partners signing the declaration on behalf of the Domestic entity(ies) forming constituent of the Network.
- In case of any change in the Nodal Officer, a copy of the authorization from the previous Nodal Officer, duly signed and acknowledging the transfer of all responsibilities to the newly designated Nodal Officer, to be filed with the ICAI.
- Copy of the revised Network agreement and revised supplement agreements, if any, entered into with the Overseas entity.
- In case of Domestic Network, Copy of the revised Network agreement and revised supplement agreements, if any, entered into among the Domestic Entity (ies).
- A copy of the proof of the change in TRC/TIN/LEI
- Proof of payment of fees.

Form 'CGN' 1. ____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**APPLICATION FOR APPROVAL OF UPDATED NAME OF THE REGISTERED GLOBAL NETWORK**

[See the relevant rule of ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between Domestic Entities registered with ICAI and Overseas entities]

1. Details of Global Network.

(i) Name of Global Network (as approved by ICAI):

(ii) Global Network Registration Number:

(iii) Date and approval number of Global Network

(iv) Date of formation of Global Network

2. Updated Name of Global Network:

(i) (in order of preference)

(ii)

(iii)

(iv)

2A. Reason for Name Change:

2B. Whether more than 50% of the original applicants still continue to be the part of the arrangement of the Global Network

3. Details of Domestic Entity(ies) in India constituting the Global Network (if applicable)

S. No	Name and Addresses	Firm Registration No./Unique Network Registration No.
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

3B. Details of the ICAI-registered Network that have granted affiliation to the Overseas Entity(ies) (if applicable)

S. No	Name of the ICAI- registered Network	Constituent Domestic Entities (Name & Address)	Unique Network Registration No.
i)			

ii)			
iii)			
iv)			

4. Details of the Domestic Entity(ies) in India willing to continue in the Global Network

S. No	Name and Addresses	Firm Registration No. /Unique Network Registration No./ Registration No.
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

5. Details of Key Managerial personnel (KMPs)/Managing Partner of Domestic Entity (ies) in India/ICAI-registered Networks.

S.no	MRNs	Name of KMP	PAN	Mobile No with Country Code	Address for Communication with Zip code	Email Id
i)						
ii)						

6. Details of the Overseas Entity constituting the Global Network

S. No.	Name(s) of the entity	Jurisdiction under which the Overseas entity is registered	Relevant Law under which Overseas entity is registered	TRC/ TIN/ LEINo. of Global Network (Attach Copy)
i				
ii				
iii				
iv				

7. Address of Principal place of business of Overseas Entity

	Zip Code	
--	----------	--

Email:.

Mobile No

8. Address of Principal place of business of Domestic Entity/ICAI-registered Network.

	Zip Code	
--	-------------	--

Email:.

Mobile No

9. Address of the Designated Nodal officer on behalf of Global Network.

Name:

Email:

Mobile No.:

Address:

Zip Code:

ICAI Membership No.:

Date of issue of Good Standing
Certificate:

Validity of Good
Standing Certificate up
till
(state date/period)
(Attach the Certificate)

--

10. Details of the revised Network agreement (s) along with supplement agreements (attach the support documents) entered into between the domestic entity/ ICAI-registered Networks and Global Network/ entity(ies). All the Documents being submitted must be attested as per applicable authority

S.no	Date of Agreement	Name of the Parties	Country/ies	Attach the Supporting Documents
i)				
ii)				

11. Details of Scrutiny fees of INR 10,000/- plus applicable taxes submitted along with the application. (attach proof).

12. Declaration:

I/ We hereby confirm that all the Network firms / entities have entered into an understanding to work as a network in accordance with the ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between Domestic Entities / Firms registered with ICAI and Overseas Entities, and I/We hereby affirm that the partner / Nodal Officer signing this application has been duly authorized by the other partners of the respective constituent entities.

I/We hereby confirm that the Global Network is duly registered with ICAI under registration number _____ dated _____, and this application is being submitted for approval of an updated / new name pursuant to the provisions of the ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between Domestic Entities / Firms registered with ICAI and Overseas Entities.

I/ We hereby confirm and affirm that out of the __ original Domestic Entities forming part of the Global Network at the time of initial registration, __ entities (i.e., __%) continue to remain affiliated and have expressly provided their consent for the proposed updated / new name of the Global Network, thereby fulfilling the more than 50% requirement under the Guidelines.

I/ We hereby affirm and declare that the information furnished in this application is true, complete and accurate to the best of my knowledge and belief. I/We further affirm that no material information has been omitted, misrepresented, or concealed in any manner.

I/ We undertake to inform the ICAI promptly of any changes or updates to the details submitted herein, within the stipulated timeframe, as mandated under the applicable guidelines.

I/ We further declare that the proposed name of the Global Network is distinct and is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Trademarks Act, 1999, the Copyright Act, 1957 and any other governing laws relating to Intellectual Property Rights in India. I/We acknowledge that the name is subject to ICAI's approval as per the guidelines, and ICAI reserves the right to reject any undesirable name.

I/We hereby undertake that this Declaration / Undertaking is executed voluntarily, in good faith and with full responsibility, acknowledging that ICAI reserves the right to accept or reject this application at its discretion.

Place: _____

Date: _____

For and on behalf of Global Network
Nodal Officer/(s) cum contact person/(s)
Name.....
Membership Number.....
Contact Details.....

Instructions: Document to be submitted: -

- a) A copy of the authorization to be filed with ICAI by the partners, signing the declaration on behalf of the Domestic entity(ies) forming constituent of the Network.
- b) A copy of the proof of the change in TRC/TIN/LEI
- c) Confirmation of KMPs at S.no 5 in respect of aforesaid authorization.
- d) Duly signed consent from the Domestic Entities continuing in the Global Network, confirming their agreement to the proposed updated / new name of the Global Network.
- e) Certified or Apostille Copy of the revised Network agreement entered into with the Overseas entity, including any Supplementary Agreement(s), if applicable.
- f) Proof of payment of fees.

Form 'DGN' No. _____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**ANNUAL RETURN TO BE FILED FOR GLOBAL NETWORK**

[See relevant rule of ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between the Domestic entities/ firms registered with ICAI and Overseas entities]

1. Name of the Global Network: As approved by ICAI.

--

2. Global Network Registration Number:

--

3. Address of the Principal place of business of Overseas Entity.

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

--

Mobile No:

--

4. Date of formation and Network Registration no. of the Global Network:

--

5. Address of the Principal place of business of Domestic Entity/ICAI-registered Networks.

	Zip/Pin	
--	---------	--

Email:

--

Mobile No:

--

6. Provide the total numbers of Chartered Accountants (Partners and Employee) in the Domestic Entity) as on the last day of immediately preceding financial year.

No. of Partners:

--

No. of Employee:

--

- 7.I. Total number of criminal or disciplinary cases or proceedings against any partner of the Domestic Entity(ies)/ ICAI-registered Networks as on the last day of immediately preceding financial year.

--

- II. Details of cases e.g. -criminal or disciplinary pending as per point I.

--

Provide the following details:-

- a) Nature o Criminal o Disciplinary
- b) Person against whom proceedings have taken place:
- i. Name of the Partner
- ii. Name of the regulator/agency that has initiated the disciplinary action.

--

- iii. The date of initiation of the proceedings

--

- iv. Status of the matter on the date of making this application.

--

8. Total revenue of Domestic Entity(Entity-wise) for immediately preceding financial year:

S. No	Name of the Entity(ies)	Firm Registration No.	Total Revenue (INR)
i)			
ii)			

9. Total fees/revenue and expenses paid/shared or received by the Domestic entity from/to Overseas Entity/Global Network granting or seeking affiliation for last 3 years in INR.

	Paid	Received
i) Statutory Audit Services		
ii) Tax Audit and other taxation services		
iii) Attestation and certification services		
iv) Non-audit services		
v) Out-of-pocket expenses		
vi) Technology		
vii) Manpower Outsourcing		
viii) Training & Development		
ix) License Fee		
x) Others (Please Specify)		

The above table to be filled up in respect of each constituent of the Global Network.

Declaration

I/We hereby declare that:

1. In the event any new entity is inducted into the Global Network in contravention of the requirements of these Guidelines, and such induction results in non-compliance, the Domestic Entity shall forthwith withdraw itself from being a Constituent of the said Global Network and intimate ICAI by filing Form “EGN”.
2. I/We further undertake that if the Domestic Entity continues to remain a Constituent of such Global Network beyond 30 days from the date on which such contravention is known or ought reasonably to have been known having regard to the prevailing circumstances, such continuance shall be considered as “professional misconduct” under Item (1) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949.
3. I/We understand that appropriate disciplinary action may be initiated by ICAI against such Domestic Entity and the Nodal Officer in the event of such misconduct.

I/We solemnly declare and affirm that the information provided is true and correct to my/our knowledge and belief.

Place :

Date :

For and on behalf of Global Network Nodal

Officer(s) cum contact person(s)

Name.....

Membership Number.....

Contact Details.....

Form 'EGN' No. _____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**APPLICATION FOR DE-REGISTRATION OF GLOBAL NETWORK**

[See relevant Rule of ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between the Domestic entities/ firms registered with ICAI and Overseas entities]

1. Name of the Global Network: As approved by ICAI

2. Global Network Registration Number:

3. Reason for De-registration:

4. Address of the Principal place of business of Overseas Entity.

Zip/Pin

Email:

Mobile No:

5. Address of the Principal place of business of Domestic Entity.

Zip/Pin

Email:

Mobile No:

6. Names and addresses of Domestic Entity(ies) in India constituting the Global Network:

S. No.	Name and Addresses of Domestic Entity (ies)	Firm Registration No. /Unique Network Registration No./ Registration No.
i)		

ii)		
iii)		

7. Name and address of the Domestic Entity(ies) willing to deregister from the Global Network:

S. No.	Name and Addresses of Domestic Entity(ies)	Firm Registration No. /Unique Network Registration No./ Registration No.
i)		
ii)		
iii)		
iv)		

8. Address of the Designated Nodal officer on behalf of Global Network:

Name:		
Email:		
Mobile No.:		
Address:		
Zip Code:		
ICAI Membership No.:		
Date of issue of Good Standing Certificate		

Validity of Good
Standing Certificate up
till
(state date/period)
(Attach the Certificate)

--

9. I/We hereby declare that all the domestic entities or firm(s) propose to de-register from the Global Network, Overseas firms/ entities in accordance with the ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between the firms registered with the Institute of Chartered Accountants of India.

I/We further affirm and confirm that the partner/Nodal Officer signing this application has been duly authorized by all the other constituents of the Global Network to submit this declaration on their behalf.

I/We acknowledge and confirm that:

There are no ongoing proceedings, disputes, or regulatory actions pending against the Global Network or its Domestic entities that may impede or affect the de-registration process.

The de-registration process will not absolve any constituent Domestic Entity or the Nodal Officer from liability for any acts, omissions, or misconduct committed during the period of registration, and ICAI retains full jurisdiction in respect thereof.

Upon de-registration, all constituent Domestic Entities shall cease to use the name of the Global Network in any form of professional communication, stationery, or marketing material from the effective date of de-registration.

Accordingly, we request that the Global Network Registration No. be struck off from the records of the Institute.

Place :

Date :

For and on behalf of Global Network
Nodal Officer(s) cum contact person(s)

Name.....

Membership Number.....

Contact Details.....

*Disclaimer: The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) reserves the right to accept or reject any application for de-registration of a Global Network, on the grounds specified under the Guidelines, or if the registration was obtained by misrepresentation, contravention of applicable provisions, or if continuance is prejudicial to the interests of the profession or public. **However, no such action shall be taken without providing the Nodal Officer and concerned constituent entities a reasonable opportunity of being heard.*

Instructions: Document to be submitted: -

- a) A copy of the authorization to be filed with ICAI by the partners signing the declaration on behalf of the Domestic Entity(ies) forming constituent of the Network.

Form 'FGN' No. _____

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF APPROVAL OF NAME FOR GLOBAL NETWORK****[See the relevant rule of ICAI (Global Networking) Guidelines, 2025 between Domestic Entities registered with ICAI and Overseas entities]**

1. Form 'AGN' Application No.
2. Details of Proposed Global Network.
- (iii) Proposed Name of Global Network:
- (iv) Date and approval number of Global Network (if approved)
3. Reason for Withdrawal:

Place: _____

Date: _____

For and on behalf of Global Network
 Nodal Officer(s) cum contact person(s)
 Name.....
 Membership Number.....
 Contact Details.....

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./676/2025-26]